मध्यप्रदेश शासन

# प्रशासकीय प्रतिवेदन

# 2019–20

# उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

# प्रशासकीय प्रतिवेदन
# 2019–20
# उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

| | | |
|---|---|---|
| मा. राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)<br>उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग | : | माननीय श्री भारत सिंह कुशवाह |

## सचिवालय

| | | |
|---|---|---|
| अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त | : | श्री के.के. सिंह |
| प्रमुख सचिव | : | श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव |
| उप सचिव | : | श्री आशीष कुमार |
| उप सचिव | : | श्रीमती वर्षा भूरिया |

## संचालनालय

| | | |
|---|---|---|
| संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी | : | श्री पुष्कर सिंह,<br>आयुक्त, उद्यानिकी |

## निगम

| | | |
|---|---|---|
| मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम | : | श्री श्रीकांत बनोठ,<br>प्रबंध संचालक |

# अनुक्रमणिका


| क्रमांक | संकाय | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| | **संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी** | |
| भाग–1 | (1) विभागीय संरचना | 1–3 |
| | (2) अधीनस्थ कार्यालय | 4 |
| | (3) विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण | 4 |
| | (4) विभाग के दायित्व | 4 |
| | (5) विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी | 4–6 |
| | (6) सामान्य प्रमुख विशेषतायें | 7 |
| | (7) उद्यानिकी सांख्यिकी | 8–12 |
| भाग–2 | बजट प्रावधान | 13 |
| भाग–3 | विभाग द्वारा संचालित राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनायें | |
| | (अ) राज्य पोषित योजनायें | 14–22 |
| | (ब) केन्द्र पोषित/प्रवर्तित योजनायें | 22–34 |
| | (स) अन्य योजनायें | 34 |
| भाग–4 | सामान्य प्रशासनिक विषय | 35 |
| भाग–5 | अभिनव योजना | 36 |
| भाग–6 | विभागीय प्रकाशन | 37 |
| भाग–7 | सारांश | 37 |
| भाग–8 | मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम | 39 |
| | (1) स्थापना, उद्देश्य, मुख्य गतिविधियां, कृषि आदान, विपणन नीति | 41 |
| | (2) प्रशासकीय संरचना | 42 |
| | (3) विगत पॉच वर्षो की जानकारी | 43–45 |
| | (4) निगम के लाभ की जानकारी | 45 |
| | (5) यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई | 46 |
| | (6) निगम की उपलब्धियों का विवरण | 47–48 |
| भाग–9 | एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत लागत मापदण्ड तथा अनुदान का विवरण परिशिष्ट–1 | 49–71 |

# संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

# मध्यप्रदेश भोपाल

दूरभाष – +91755–2578491

फैक्स – +91755–2768159

ई–मेल – dirhort@mp.nic.in

बेवसाइट – www.horticulture.mp.gov.in

# विभागीय संरचना

↓

मंत्री
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

↓

कृषि उत्पादन आयुक्त

↓

प्रमुख सचिव
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

↓

आयुक्त सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

↓

संभाग स्तर
संयुक्त संचालक उद्यान

↓

जिला स्तर
उप/सहायक संचालक उद्यान

# विभागीय संरचनाः–

## संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

- **संचालनालय सहा.सं.**
  - संचालक
  - अपर संचा.–2
  - संयुक्त संचा.–3
  - उप संचा.–2
  - सहायक संचा.–5
  - लेखाधिकारी–1
  - सहा.सं.सांख्यिकी –1
  - सहा. संचा. स्था.–1
  - व.उ.वि.अधि.–5
  - उ.वि.अधि.–5
  - सहा. सांख्य. अधि.–2
  - ग्रा.उ.वि.अधि.–2
- **संभाग**
  - संयुक्त संचा.–8
  - सहा. संचा.–8
  - व.उ.वि.अधि.–8
  - उ.वि.अधि.–8
  - ग्रा.उ.वि.अधि.–16
- **जिला**
  - **ए ग्रेड**
    - उप संचा.–21
    - व.उ.वि.अधि.–20
    - उ.वि.अधि.–20
    - ग्रा.उ.वि.अधि.–40
  - **बी ग्रेड**
    - सहा.संचा.–30
    - व.उ.वि.अधि.–26
    - उ.वि.अधि.–30
    - ग्रा.उ.वि.अधि.–60
- **विकासखण्ड**
  - व.उ.वि.अधि.–313
  - उ.वि.अधि.–291
  - ग्रा.उ.वि.अधि.–939
- **प्रशि.केन्द्र**
  - **पचमढ़ी संयु.संचा. –1**
    - सहा. सं.–1
    - उ.वि.अधि.–2
    - ग्रा.उ.वि.अधि.–3
- **फल परिरक्षण**
  - **प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर**
    - सहा. संचा.–1
    - उ.वि.अधि.–1
    - ग्रा.उ.वि.अधि.–3
    - प्रयो. सहा.–1
- **सब्जी बीज**
  - **प्रक्षेत्र**
    - सहा. संचा.–8
    - उ.वि.अधि.–12
    - ग्रा.उ.वि.अधि.–24
- **कार्या.**
  - **प्रमुख उद्यान**
    - पचमढ़ी
      - सहा. संचा.–1
      - व.उ.वि.अधि.–2
      - उ.वि.अधि.–4
      - ग्रा.उ.वि.अधि.–7
    - भोपाल
      - सहा. संचा.–1
      - व.उ.वि.अधि.–2
      - उ.वि.अधि.–6
      - ग्रा.उ.वि.अधि.–5

अपर संचा. – अपर संचालक, संयुक्त संचा.उ. – संयुक्त संचालक उद्यान, उप संचा. उ. – उप संचालक उद्यान, सहा. संचा.उ. – सहायक संचालक उद्यान, सहा. सांख्य. अधि– सहायक सांख्यकी अधिकारी, व.उ.वि.अधि. –वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उ.वि.अधि. – उद्यान विकास अधिकारी, ग्रा.उ.वि.अधि. – ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, प्रयो. सहा. – प्रयोगषाला सहायक

**2. अधीनस्थ कार्यालय :**

2.1 संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अन्तर्गत राज्य स्तरीय (01),
2.2 कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग स्तर (08)
2.3 जिला स्तर
2.3.1 कार्यालय उप संचालक उद्यान (21) ए ग्रेड जिले
2.3.2. कार्यालय सहायक संचालक उद्यान (30) बी ग्रेड जिले
2.3.3 प्रक्षेत्र/फार्म स्तर
कार्यालय सहायक संचालक उद्यान (08)
2.4 विकासखण्ड स्तर
कार्यालय वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (313)
2.5 नर्सरी स्तर
कार्यालय उद्यान विकास अधिकारी (292)
2.6 प्रशिक्षण केन्द्र (02)
2.7 प्रमुख उद्यान (02)

**3. विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :**

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड

**4. विभाग का दायित्व :**

**i.** उद्यानिकी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
**ii.** उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण।
**iii.** सब्जी एवं मसाला फसलों का विकास।
**iv.** औषधीय एवं सुगंधित फसलों का विकास।
**v.** उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को प्रोत्साहन।
**vi.** फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत शीतश्रृंखला को प्रोत्साहन।
**vii.** व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती का विकास।
**viii.** आधुनिकतम तकनीकी का प्रचार–प्रसार एवं कृषकों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण।
**ix.** उद्यानिकी उत्पादन का भण्डारण, विपणन एवं प्रसंस्करण व्यवस्था का समन्वय।
**x.** उद्यानिकी में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना।

**5. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :**

**5.1 उद्देश्य**

देश एवं प्रदेश की उन्नति सर्वोपरि है। अतः कृषकों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना होगा ताकि किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सके और देष की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सके। अर्थषास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी देष/प्रदेष की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की गति कृषकों के उत्थान से ही सफल हो सकती है, जिसके लिये प्रदेष के विकास में उद्यानिकी एक सषक्त माध्यम है।

प्रदेश फल, फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में आत्म निर्भर होकर देश में अग्रणी उत्पादक की भूमिका अदा करे, इस हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की उद्यानिकी संपदा में वृद्धि करने के लिये संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ–साथ उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण, सब्जियों, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उन्नत बीज/कन्द उपलब्ध हो सकें, साथ ही कृषकों को उनके उत्पादों का फसलोत्तर प्रबंधन, परिरक्षण एवं विपणन की जानकारी मिल सके।

उद्यानिकी के क्षेत्र में विस्तार हेतु योजनाओं में आधुनिक तकनीकी को सतत् अपनाते हुए उत्पादन, प्रबंधन एवं निर्यात के क्षेत्र में उपयोगी बनाने की महती आवश्यकता है।

उद्यानिकी फसलों का महत्व मनुष्य के भोजन में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति, कृषकों की नगद आय बढ़ाने एवं विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ–साथ पर्यावरण में सुधार करना है। आहार विशेषज्ञों की राय के अनुसार मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषण आहार के लिये प्रतिदिन फल, सागभाजी एवं मसालों की अत्यन्त आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को पोषण आहार जैसे– फल, सब्जी, मसाले आसानी से उपलब्ध हो सके, इसकी पूर्ति हेतु विभाग क्षेत्रविस्तार के साथ–साथ उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि तथा भण्डारण एवं विपणन की अधोसंरचना विकास हेतु संकल्पित होकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है।

**5.2 स्थापना** : मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेष वासियों को संतुलित पोषण आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 12 फरवरी, 1982 को राज्य शासन द्वारा कृषि विभाग के अधीन उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय की स्थापना की गई।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में एवं कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम को मिलाकर, कृषि विभाग से पृथक कर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन किया गया है, जिसकी अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर, 2005 को जारी की गई।

**5.3 दिनांक 31.01.2020 की स्थिति में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—**

| क्र. | पदनाम | वेतनमान | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संचालक | 37400—67000+10000 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | अपर संचालक उद्यान | 37400—67000+8700 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | संयुक्त संचालक उद्यान | 15600—39100+7600 | 13 | 2 | 11 |
| 4 | उप संचालक उद्यान | 15600—39100+6600 | 25 | 12 | 13 |
| 5 | उप संचालक सांख्यिकी | 15600—39100+6600 | 1 | 0 | 1 |
| | **योग वर्ग—1** | | **42** | **15** | **27** |
| 6 | सहायक संचालक उद्यान | 15600—39100+5400 | 58 | 32 | 26 |
| 7 | प्रशिक्षण अधिकारी सहा. संचालक | 15600—39100+5400 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | सहायक संचालक सांख्यिकी | 15600—39100+5400 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | सहायक संचालक उद्यान स्थापना | 15600—39100+5400 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | लेखाधिकारी वित्त सेवा | 15600—39100+5400 | 1 | 1 | 0 |
| | **योग वर्ग—2** | | **62** | **35** | **27** |
| 11 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 9300—34800+3600 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | सहायक प्रोग्रामर | 9300—34800+3600 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी | 9300—34800+3600 | 381 | 95 | 286 |
| 14 | उद्यान विकास अधिकारी | 5200—20200+2800 | 380 | 250 | 130 |
| 15 | ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी | 5200—20200+2400<br>5200—20200+2100 | 1100 | 835 | 265 |
| 16 | प्रयोगशाला सहायक | 5200—20200+1900 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ग्रन्थपाल | 5200—20200+2400 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | अधीक्षक | 9300—34800+3600 | 9 | 2 | 7 |
| 19 | शीघ्र लेखक | 5200—20200+2800 | 14 | 8 | 6 |
| 20 | सहायक ग्रेड—1 | 5200—20200+2800 | 59 | 18 | 41 |
| 21 | लेखापाल | 5200—20200+2400 | 73 | 57 | 16 |
| 22 | आडिटर | 5200—20200+2400 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | सहायक ग्रेड—2 | 5200—20200+2400 | 68 | 46 | 22 |
| 24 | सहायक ग्रेड—3 (नियमित) | 5200—20200+1900 | 157 | 114 | 43 |
| 25 | स्टेनो टायपिस्ट | 5200—20200+1900 | 10 | 0 | 10 |
| 26 | वाहन चालक (नियमित) | 5200—20200+1900 | 22 | 13 | 9 |
| 27 | टेक्टर चालक | 4440—7440+1300 | 8 | 0 | 8 |
| | **योग वर्ग—3** | | **2288** | **1442** | **846** |
| 28 | भृत्य/चौकीदार (नियमित) | 4440—7440+1300 | 147 | 123 | 24 |
| 29 | माली (नियमित) | 4440—7440+1300 | 548 | 548 | 0 |
| 30 | लेब ब्याय (नियमित) | 4440—7440+1300 | 1 | 1 | 0 |
| | **योग वर्ग—4** | | **696** | **672** | **24** |
| | **कुल योग वर्ग—1 से वर्ग—4 तक** | | **3088** | **2164** | **924** |
| 31 | सहायक ग्रेड—3 (सांख्येतर) | 5200—20200+1900 | 183 | 54 | 129 |
| 32 | वाहन चालक (सांख्येतर) | 5200—20200+1900 | 21 | 12 | 9 |
| 33 | माली (सांख्येतर) | 4440—7440+1300 | 317 | 317 | 0 |
| 34 | वाहन चालक (संविदा) | कलेक्टर दर | 13 | 4 | 9 |
| | योग | | **534** | **387** | **147** |
| | महायोग | | **3622** | **2551** | **1071** |

6. **सामान्य प्रमुख विशेषतायें :**

## i विकास गतिविधियॉ

- प्रदेश में उद्यानिकी संपदा में वृद्धि के लिए फल, सब्जी, मसाले, पुष्प एवं औषधि फसलों के रकबे एवं उत्पादन में वृद्धि करना।
- टपक सिंचाई द्वारा जल का समुचित उपयोग कर उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना, तथा ''पर ड्राप मोर क्राप'' के सिद्धांत की पूर्ति करना है।
- गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन के लिए प्रदेश में मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 एवं नियम, 2011 लाया गया है, जिसकी अधिसूचना दिनांक 04.01.2011 को जारी की गई है।
- प्रदेष में स्थापित शासकीय रोपणियों के उन्नयन आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर किया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से वर्षवार निम्नानुसार शासकीय नर्सरियों की रेटिंग कराई गई है।

| क्र | वर्ष | शासकीय रोपणी |
|---|---|---|
| 1 | 2015—16 | 7 |
| 2 | 2016—17 | 10 |
| 3 | 2017—18 | 12 |
| 4 | 2018—19 | 8 |
| 5 | 2019—20 | 15 |

- प्रदेष में शासकीय क्षेत्र में 300 रोपणियाँ स्थापित है।

## ii प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता

विभागीय अमले को समय समय पर उन्नतशील आधुनिकतम तकनीकी की जानकारी देने हेतु 3 माली प्रशिक्षण केन्द्र तथा पचमढ़ी में एक अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है, जिनमें उद्यान अधीक्षक, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं मालियों को उद्यानिकी के विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। साथ ही अन्य प्रदेशों में प्रचलित विधाओं/उन्नत तकनीकी आदि के प्रशिक्षण हेतु दूसरे प्रदेशों में प्रषिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है। कृषकों को उन्नत किस्म की खेती के संबंध में जानकारी देने हेतु ग्रीन हाऊस तकनीक, टपक सिंचाई पद्धति जैसी उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी हेतु कृषकों को राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर भ्रमण कराकर उद्यानिकी की आधुनिक तकनीकी से अवगत कराया जाता है। कृषकों के ज्ञान मे वृद्धि के लिये प्रदेश के संभागों एवं जिलों में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनियों का सतत् आयोजन किया जाता है।

## iii फसलोत्तर प्रबंधन

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, रायपनिंग चेम्बर, प्याज भण्डार गृह एवं पैक हाउस आदि के निर्माण हेतु मापदण्डानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

## 7. उद्यानिकी सांख्यिकी :

### मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्षेत्रफल—हेक्टर में
उत्पादन—टन में
उत्पादकता—टन / हेक्टेयर में

अ—फल :—

| क. | फसल का नाम | 2016—17 | | | 2017—18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | आम | 43609.05 | 588541.77 | 13.50 | 45518.63 | 654784.97 | 14.38 |
| 2 | अमरूद | 32559.23 | 624654.25 | 19.19 | 35079.60 | 686696.90 | 19.58 |
| 3 | ऑवला | 20468.01 | 304079.49 | 14.86 | 20419.98 | 302176.54 | 14.80 |
| 4 | संतरा | 118688.99 | 1612146.30 | 13.58 | 121112.25 | 2103638.20 | 17.37 |
| 5 | नीबू | 18655.45 | 272870.63 | 14.63 | 20290.05 | 306726.11 | 15.12 |
| 6 | मौसम्बी | 10869.70 | 186510.26 | 17.16 | 6425.65 | 111720.20 | 17.39 |
| 7 | केला | 26969.80 | 1873689.24 | 69.47 | 26375.05 | 1834027.69 | 69.54 |
| 8 | अनार | 9350.62 | 103519.56 | 11.07 | 9485.20 | 113038.15 | 11.92 |
| 9 | पपीता | 10930.75 | 464189.29 | 42.47 | 10549.10 | 421550.92 | 39.96 |
| 10 | खरबूज | 4534.50 | 72001.96 | 15.88 | 5382.60 | 127477.70 | 23.68 |
| 11 | तरबूज | 7437.60 | 189698.06 | 25.51 | 8367.00 | 215340.56 | 25.74 |
| 12 | सिंघाड़ा | 355.90 | 958.73 | 2.69 | 631.30 | 1580.12 | 2.50 |
| 13 | बेर | 9909.35 | 114101.41 | 11.51 | 10401.81 | 119617.90 | 11.50 |
| 14 | कटहल | 4242.84 | 83640.20 | 19.71 | 4423.25 | 92321.80 | 20.87 |
| 15 | अंगूर | 85.00 | 1275.00 | 15.00 | 85.00 | 1275.00 | 15.00 |
| 16 | सीताफल | 12478.88 | 147187.35 | 11.79 | 6428.30 | 85202.52 | 13.25 |
| 17 | अन्य फल | 14227.74 | 141081.87 | 9.92 | 16149.97 | 166873.00 | 10.33 |
| | **योग** | **345373.41** | **6780145.37** | **19.63** | **347124.74** | **7344048.28** | **21.16** |

| अ—फल | | 2018—19 | | | 2019—20 द्वितीय अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | फल का नाम | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | आम | 46719.11 | 667848.60 | 14.29 | 49568.8 | 704067.05 | 14.20 |
| 2 | अमरूद | 37255.19 | 722237.03 | 19.39 | 39763.69 | 767928.51 | 19.31 |
| 3 | ऑवला | 20745.12 | 300080.20 | 14.47 | 22547.99 | 334883.33 | 14.85 |
| 4 | संतरा | 126374.25 | 2147542.38 | 16.99 | 127878.75 | 2168455.42 | 16.96 |
| 5 | नीबू | 21564.47 | 326978.50 | 15.16 | 22003.17 | 333855.84 | 15.17 |
| 6 | मौसम्बी | 6540.92 | 113407.71 | 17.34 | 6549.92 | 113047.65 | 17.26 |
| 7 | केला | 26541.39 | 1853026.36 | 69.82 | 26863.04 | 1873328.99 | 69.74 |
| 8 | अनार | 9032.33 | 112194.91 | 12.42 | 8963.78 | 106811.88 | 11.92 |
| 9 | पपीता | 10687.57 | 447441.34 | 41.87 | 10986.43 | 435910.19 | 39.68 |
| 10 | खरबूज | 5715.88 | 128050.33 | 22.40 | 6203.89 | 108574.6 | 17.50 |
| 11 | तरबूज | 9102.92 | 240743.97 | 26.45 | 10079.23 | 272260.53 | 27.01 |
| 12 | सिघाड़ा | 798.48 | 2003.34 | 2.51 | 824.98 | 2079.34 | 2.52 |
| 13 | बेर | 10635.66 | 117564.54 | 11.05 | 11080.91 | 122529.27 | 11.06 |
| 14 | कटहल | 4656.54 | 94582.79 | 20.31 | 5176.34 | 107107.76 | 20.69 |
| 15 | अंगूर | 80.00 | 1280.00 | 16.00 | 84.00 | 1344.00 | 16.00 |
| 16 | सीताफल | 6953.09 | 91043.91 | 13.09 | 7298.44 | 93879.69 | 12.86 |
| 17 | अन्य फल | 17244.98 | 178495.45 | 10.35 | 19574.76 | 211119.1 | 10.79 |
| | **योग** | **360647.90** | **7544521.36** | **20.92** | **375448.12** | **7757183.19** | **20.66** |

ब–सब्जियाँ :–

| क. | सब्जी का नाम | 2016–17 | | | 2017–18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | आलू | 159997.16 | 3460980.46 | 21.63 | 136290.21 | 3144642.92 | 23.07 |
| 2 | शकरकंद | 4432.20 | 63449.79 | 14.32 | 5188.15 | 78868.64 | 15.20 |
| 3 | प्याज | 150839.21 | 3821046.22 | 25.33 | 150865.60 | 3701013.71 | 24.53 |
| 4 | टमाटर | 95395.42 | 2722682.98 | 28.54 | 84526.18 | 2419276.37 | 28.62 |
| 5 | भिण्डी | 43730.36 | 625832.04 | 14.31 | 43756.73 | 638339.21 | 14.59 |
| 6 | बैगन | 51672.84 | 1053515.75 | 20.39 | 50651.30 | 1057753.05 | 20.88 |
| 7 | फूलगोभी | 46354.81 | 991713.68 | 21.39 | 46469.88 | 1008457.51 | 21.70 |
| 8 | बंदगोभी | 28555.84 | 651596.18 | 22.82 | 29885.95 | 686905.94 | 22.98 |
| 9 | अरबी | 15051.97 | 251873.73 | 16.73 | 15128.85 | 252319.70 | 16.68 |
| 10 | हरीमटर | 95205.49 | 957601.58 | 10.06 | 94987.90 | 961549.36 | 10.12 |
| 11 | लौकी | 17918.73 | 335587.95 | 18.73 | 18662.68 | 349386.62 | 18.72 |
| 12 | करेला | 11230.97 | 148792.53 | 13.25 | 12715.65 | 170988.37 | 13.45 |
| 13 | मूली | 8701.41 | 124311.94 | 14.29 | 10067.93 | 152563.45 | 15.15 |
| 14 | पालक | 28357.62 | 313805.79 | 11.07 | 28804.77 | 335365.83 | 11.64 |
| 15 | तोरई | 12233.93 | 169565.88 | 13.86 | 13234.45 | 180627.32 | 13.65 |
| 16 | गाजर | 6421.93 | 116467.61 | 18.14 | 7425.54 | 138955.06 | 18.71 |
| 17 | ककड़ी | 7900.02 | 132562.28 | 16.78 | 9459.91 | 154523.79 | 16.33 |
| 18 | शिमला मिर्च | 1080.25 | 22440.34 | 20.77 | 1140.10 | 23917.19 | 20.98 |
| 19 | परवल | 268.51 | 4396.89 | 16.38 | 497.96 | 8109.82 | 16.29 |
| 20 | अन्य सब्जी | 84240.22 | 1301094.73 | 15.45 | 87982.34 | 1396895.59 | 15.88 |
| | **योग** | **869588.89** | **17269318.35** | **19.86** | **847742.08** | **16860459.45** | **19.89** |

| ब–सब्जी | | 2018–19 | | | 2019–20 द्वितीय अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | सब्जी का नाम | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | आलू | 145736.50 | 3309667.31 | 22.71 | 151413.36 | 3457319.97 | 22.83 |
| 2 | शकरकंद | 5297.72 | 80329.91 | 15.16 | 5647.49 | 86040.89 | 15.24 |
| 3 | प्याज | 149843.45 | 3683097.39 | 24.58 | 164667.18 | 4082901.06 | 24.79 |
| 4 | टमाटर | 85412.36 | 2516078.26 | 29.46 | 90971.04 | 2655294.2 | 29.19 |
| 5 | भिण्डी | 47070.63 | 678426.99 | 14.41 | 49361.97 | 714156.31 | 14.47 |
| 6 | बैगन | 51793.65 | 1084816.55 | 20.94 | 54372.3 | 1135041.61 | 20.88 |
| 7 | फूलगोभी | 48590.15 | 1099128.01 | 22.62 | 51313 | 1153798.74 | 22.49 |
| 8 | बंदगोभी | 30838.79 | 720902.71 | 23.38 | 33245.66 | 774625.95 | 23.30 |
| 9 | अरबी | 15396.13 | 256429.33 | 16.66 | 16617.33 | 276895.2 | 16.66 |
| 10 | हरीमटर | 98809.41 | 1018816.88 | 10.31 | 101521.72 | 1046837.31 | 10.31 |
| 11 | लौकी | 19588.98 | 363239.09 | 18.54 | 21069.53 | 393026.68 | 18.65 |
| 12 | करेला | 14078.14 | 247706.25 | 17.60 | 15622.93 | 233110.72 | 14.92 |
| 13 | मूली | 10608.87 | 162691.60 | 15.34 | 11381.25 | 174821.14 | 15.36 |
| 14 | पालक | 30263.51 | 347778.69 | 11.49 | 32054.33 | 370512.26 | 11.56 |
| 15 | तोराई | 14176.60 | 195580.38 | 13.80 | 14602.76 | 200930.82 | 13.76 |
| 16 | गाजर | 7677.08 | 144820.56 | 18.86 | 8242.59 | 154563.4 | 18.75 |
| 17 | ककड़ी | 10357.94 | 175174.34 | 16.91 | 12333.86 | 212108.85 | 17.20 |
| 18 | शिमला मिर्च | 1203.85 | 24306.21 | 20.19 | 1599.03 | 28487.58 | 17.82 |
| 19 | परवल | 553.81 | 8634.48 | 15.59 | 669.81 | 10519.74 | 15.71 |
| 20 | अन्य सब्जी | 79777.07 | 1162969.51 | 14.58 | 85507.83 | 1265547.95 | 14.80 |
| | **योग** | **867074.64** | **17280594.45** | **19.93** | **922214.97** | **18426540.38** | **19.98** |

स–मसाला :–

| क्र. | फसल का नाम | 2016–17 | | | 2017–18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | मिर्च सूखी लाल | 98537.80 | 303626.69 | 3.08 | 94414.90 | 232698.65 | 2.46 |
| 2 | मिर्च हरी | 43149.25 | 701616.50 | 16.26 | 41293.90 | 669157.11 | 16.20 |
| 3 | अदरक | 23153.07 | 372637.80 | 16.09 | 23431.48 | 377471.27 | 16.11 |
| 4 | लहसुन | 156880.15 | 1779912.34 | 11.35 | 186179.25 | 1882390.65 | 10.11 |
| 5 | हल्दी | 12876.75 | 239241.39 | 18.58 | 11697.50 | 206470.92 | 17.65 |
| 6 | धनिया बीज | 275762.83 | 387428.14 | 1.40 | 279836.92 | 390547.92 | 1.40 |
| 7 | मैथी बीज/पत्ती | 54386.79 | 103002.44 | 1.89 | 54194.23 | 95853.14 | 1.77 |
| 8 | जीरा | 481.15 | 449.55 | 0.93 | 507.95 | 540.93 | 1.06 |
| 9 | सौंफ | 1431.38 | 2521.79 | 1.76 | 1480.00 | 2723.82 | 1.84 |
| 10 | अन्य मसालें | 44884.52 | 229184.69 | 5.11 | 44936.26 | 221485.57 | 4.93 |
| **योग** | | **711543.69** | **4119621.33** | **5.79** | **737972.39** | **4079339.98** | **5.53** |

| क्र. | फसल का नाम | 2018–19 | | | 2019–20 द्वितीय अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | मिर्च सूखी लाल | 87838.93 | 217548.29 | 2.48 | 87925.83 | 219343.12 | 2.49 |
| 2 | हरी मिर्च | 43314.88 | 694930.87 | 16.04 | 45014.34 | 717333.81 | 15.94 |
| 3 | अदरक | 24963.81 | 414282.42 | 16.60 | 27015.18 | 445423.03 | 16.49 |
| 4 | लहसुन | 178156.61 | 1807952.59 | 10.15 | 180580.96 | 1833175.54 | 10.15 |
| 5 | हल्दी | 13665.88 | 238283.10 | 17.44 | 15794.06 | 277350.67 | 17.56 |
| 7 | धनियॉ बीज | 279980.00 | 378233.44 | 1.35 | 274475.47 | 373347.99 | 1.36 |
| 8 | मेथी बीज/पत्ती | 48228.47 | 86538.79 | 1.79 | 44924.27 | 82957.73 | 1.85 |
| 9 | जीरा | 539.29 | 599.66 | 1.11 | 526.29 | 621.68 | 1.18 |
| 10 | सौंफ | 1497.28 | 2787.36 | 1.86 | 1553.78 | 3187.55 | 2.05 |
| 11 | अन्य मसालें | 45892.33 | 234927.02 | 5.12 | 45652.7 | 234816.39 | 5.14 |
| **योग** | | **724077.48** | **4076083.54** | **5.63** | **723462.88** | **4187557.51** | **5.79** |

द–पुष्प :–

| क. | पुष्प का नाम | 2016–17 | | | 2017–18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | गेन्दा | 18120.62 | 237083.95 | 13.08 | 20339.29 | 264002.96 | 12.98 |
| 2 | गुलाब | 2988.39 | 35168.15 | 11.77 | 3229.94 | 37117.96 | 11.49 |
| 3 | सेवन्ती | 929.46 | 11284.31 | 12.14 | 1065.75 | 13287.91 | 12.47 |
| 4 | रजनीगंधा | 270.61 | 3208.33 | 11.86 | 208.25 | 2666.04 | 12.80 |
| 5 | ग्लेडूलस | 1055.87 | 9448.17 | 8.95 | 854.99 | 7168.19 | 8.38 |
| 6 | अन्य पुष्प | 5440.14 | 55496.15 | 10.20 | 5779.64 | 63629.47 | 11.01 |
| | **योग** | **28805.09** | **351689.06** | **12.21** | **31477.86** | **387872.53** | **12.32** |

| द–पुष्प | | 2018–19 | | | 2019–20 द्वितीय अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | पुष्प का नाम | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | गेन्दा | 18035.94 | 238109.08 | 13.20 | 18227.38 | 238260.34 | 13.07 |
| 2 | गुलाब | 3420.69 | 33857.09 | 9.90 | 3555.68 | 34933.73 | 9.82 |
| 3 | सेवन्ती | 1105.82 | 13949.34 | 12.61 | 1145.82 | 14316.85 | 12.49 |
| 4 | रजनीगंधा | 210.88 | 2650.17 | 12.57 | 222.38 | 2753.53 | 12.38 |
| 5 | ग्लेडूल्स | 804.77 | 6903.70 | 8.58 | 827.12 | 7001.03 | 8.46 |
| 6 | अन्य पुष्प | 6255.92 | 59621.57 | 9.53 | 6820.93 | 66566.52 | 9.76 |
| | **योग** | **29834.02** | **355090.95** | **11.90** | **30799.31** | **363832** | **11.81** |

घ–औषधि :–

| क. | औषधि का नाम | 2016–17 | | | 2017–18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | अश्वगंधा | 4135.43 | 5400.58 | 1.31 | 3917.16 | 4987.34 | 1.27 |
| 2 | सफेद मुसली | 1497.09 | 5490.59 | 3.67 | 1346.20 | 5191.72 | 3.86 |
| 3 | ईसबगोल | 19734.85 | 24008.46 | 1.22 | 22958.20 | 27775.64 | 1.21 |
| 4 | कोलियस | 116.10 | 622.59 | 5.36 | 305.50 | 1587.88 | 5.20 |
| 5 | अन्य औषधियॉं | 15054.90 | 48827.80 | 3.24 | 15025.85 | 48666.86 | 3.24 |
| **योग** | | **40538.37** | **84350.02** | **2.08** | **43552.91** | **88209.44** | **2.03** |
| **सुगंधित फसल** | | **1639.80** | **2322.87** | **1.42** | **1619.40** | **2643.32** | **1.63** |
| **महायोग** | | **1997489.25** | **28607447.00** | **14.32** | **2009489.38** | **28762573.00** | **14.31** |

| घ–औषधि | | 2018–19 | | | 2019–20 द्वितीय अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | औषधि का नाम | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
| 1 | अश्वगंधा | 3953.97 | 5492.40 | 1.39 | 3929.38 | 5504.84 | 1.40 |
| 2 | सफेद मुसली | 1475.55 | 5234.10 | 3.55 | 1653.13 | 5695.59 | 3.45 |
| 3 | ईसबगोल | 15209.20 | 16663.23 | 1.10 | 14806.2 | 16153.13 | 1.09 |
| 4 | कोलियस | 317.94 | 1720.20 | 5.41 | 435.18 | 2334.61 | 5.36 |
| 5 | अन्य औषधियॉं | 15373.94 | 62583.78 | 4.07 | 16793.51 | 65989.54 | 3.93 |
| **योग** | | **36330.60** | **91693.71** | **2.52** | **37617.4** | **95677.71** | **2.54** |
| **1** | **सुगंधित फसल** | **1721.40** | **3190.22** | **1.85** | **1771.65** | **3391.8** | **1.91** |
| **महायोग** | | **2019686.04** | **29351174.23** | **14.53** | **2091314.33** | **30834182.59** | **14.74** |

# भाग–2
# बजट प्रावधान

**आयोजना**

विगत चार वर्षो में आयोजना मद में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

**(राशि रूपये लाख में)**

| वर्ष | व्यय | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | अनुसूचित जनजाति उप योजना | अनुसूचित जाति उप योजना | योग |
| 2016–17 | 38384.84 | 8616.66 | 5059.99 | 52061.49 |
| 2017–18 | 39305.29 | 7520.53 | 4612.25 | 51438.07 |
| 2018–19 | 111732.78 | 5495.32 | 3500.57 | 120728.67 |
| 2019–20 | 28559.66 | 10195.87 | 6106.45 | 44861.98 |

**आयोजनेत्तर**

विगत चार वर्षो में आयोजनेत्तर मद में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

**(राशि रूपये लाख में)**

| वर्ष | व्यय |
|---|---|
| 2016–17 | 3141.50 |
| 2017–18 | 15216.20 |
| 2018–19 | 18094.71 |
| 2019–20 | 17862.18 |

# भाग—3

## विभाग द्वारा संचालित राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :

उद्यानिकी अंतर्गत फल, साग—सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा प्रसंस्करण हेतु कार्य किया जाता है। इनके विकास हेतु विभाग द्वारा कृषकों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

### अ. राज्य पोषित योजनाएं :—

1. फलपौध रोपण हेतु अनुदान
2. साग—भाजी क्षेत्र विस्तार योजना
3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना,
4. घरेलू बागवानी (किचन गार्डन)की आदर्श योजना
5. उद्यानिकी अधिकारी / कर्मचारी प्रषिक्षण योजना
6. कृषक प्रषिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य कार्य
7. प्रदर्षनी मेला एवं प्रचार—प्रसार योजना
8. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना
9. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना
10. औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार
11. फल, सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना
12. शासकीय रोपणियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
13. मौसम आधारित फसल बीमा योजना
14. नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण
15. उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना
16. उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना
17. मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना

### 1. फल पौध रोपण हेतु अनुदान

योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ड्रिप सहित / ड्रिप रहित / सामान्य दूरी / उच्च / अति उच्च घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 03 वर्षो में 60:20:20 के अनुपात में देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

फल पौध रोपण योजना में आम किस्म तोतापरी का अति उच्च सघनता में रोपण करने पर प्रथम वर्ष में 24000 /— प्रति एकड़ अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। जिला होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा में वर्ष 2019—20 से क्रियान्वित है।

| क्र. | वर्ष | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016—17 | 4521 | 2295 | 2924.83 | 1745.00 | 2834 |
| 2 | 2017—18 | 3889.76 | 2800.9 | 3006.36 | 1366.60 | 3220 |
| 3 | 2018—19 | 14422.75 | 9333.72 | 2517.65 | 1439.42 | 11841 |
| 4 | 2019—20 | 2772.00 | 1312.52 | 1854.94 | 1286.55 | 1848 |

## 2. साग–भाजी क्षेत्र विस्तार योजना

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना को संशोधित कर वर्ष 2016–17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत (प्रमाणित उन्नत/संकर बीज) सब्जी फसलों में सामान्य वर्ग हेतु बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिये बीज की लागत का 70 प्रतिशत अधिकतम 14,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा। जड़ एवं कंद वाली व्यावसायिक फसल आलू एवं अरबी उत्पादन हेतु सामान्य वर्ग हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के रोपण सामग्री की लागत का 70 प्रतिशत अधिकतम 42,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

| क्र. | वर्ष | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016–17 | 11832 | 6050 | 1693.20 | 482.13 | 7898 |
| 2 | 2017–18 | 7709.80 | 5888.16 | 2463 | 490.69 | 7614 |
| 3 | 2018–19 | 5720.71 | 3082.34 | 600.00 | 206.50 | 3693 |
| 4 | 2019–20 | 4142.21 | 5774.96 | 436.46 | 310.16 | 8060 |

## 3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना को संशोधित कर वर्ष 2016–17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। बीज मसाला फसलों (मिर्च, धनिया, मेथी, करायल (कलोंजी), जीरा और अजवाइन) में सामान्य वर्ग हेतु बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु बीज की लागत का 70 प्रतिशत अधिकतम 14,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामान्य वर्ग हेतु सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु सामग्री की लागत का 70 प्रतिशत अधिकतम 70,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

| क्र. | वर्ष | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016–17 | 7309 | 4170 | 1141.10 | 316.54 | 5627 |
| 2 | 2017–18 | 5836.70 | 2466.53 | 1783.04 | 347.82 | 3352 |
| 3 | 2018–19 | 4069.84 | 1421.19 | 600.00 | 194.99 | 2060 |
| 4 | 2019–20 | 2930.29 | 3383.75 | 436.48 | 310.89 | 4748 |

## 4. घरेलू बागवानी (किचन गार्डन) की आदर्श योजना

राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत उनकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर प्रति हितग्राही को रू. 75/–के सब्जी बीजों के पैकेट निःषुल्क वितरित किये जाते है।

| क्र. | वर्ष | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016–17 | 458707 | 438908 | 344.03 | 333.25 | 438908 |
| 2 | 2017–18 | 309447 | 309447 | 231.44 | 215.07 | 309447 |
| 3 | 2018–19 | 308172 | 308172 | 231.13 | 214.84 | 308172 |
| 4 | 2019–20 | 283760 | 283760 | 181.87 | 179.26 | 283760 |

## 5. उद्यानिकी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण योजना

योजनांतर्गत संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अधीन पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई तकनीक के विषय में जानकारी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं रिफ्रेसर कोर्स आयोजित किये जाते हैं तथा राज्य के बाहर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रषिक्षण हेतु भेजा जाता है।

| क्र. | वर्ष | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016–17 | 1000 | 376 | 118.74 | 118.67 | 376 |
| 2 | 2017–18 | 1000 | 911 | 130.95 | 52.08 | 911 |
| 3 | 2018–19 | 1050 | 630 | 150.00 | 21.97 | 630 |
| 4 | 2019–20 | 300 | 657 | 71.13 | 38.25 | 657 |

## 6. कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य कार्य

कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेष के अंदर तथा प्रदेष के बाहर भ्रमण कराकर प्रषिक्षित किया जाता है। प्रषिक्षण कार्यक्रय का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र. | घटक | दर |
|---|---|---|
| 1 | जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण | रूपये 600/– प्रति कृषक प्रति दिवस |
| 2 | प्रदेश के अंदर भ्रमण एवं प्रशिक्षण | रूपये 1000/– प्रति कृषक प्रति दिवस |
| 3 | प्रदेश के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण | रूपये 1500/– प्रति कृषक प्रति दिवस |
| 4 | नवीन तकनीक के अवलोकन हेतु कृषकों को एक्सपोजर विजिट | रूपये 1500/– प्रति कृषक प्रति दिवस |

| क्र. | वर्ष | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016–17 | 12937 | 10354 | 495.96 | 470.07 | 10354 |
| 2 | 2017–18 | 31315 | 27413 | 522.63 | 495.07 | 27413 |
| 3 | 2018–19 | 26428 | 20572 | 328.50 | 258.71 | 20572 |
| 4 | 2019–20 | 22284 | 22225 | 214.80 | 189.78 | 22225 |

## 7. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना

योजना का उद्देष्य संरक्षित खेती अंतर्गत विषेष प्रकार के निर्मित पाली हाऊस/षेडनेट हाउस ढ़ांचे में गैर मौसम में भी खेती कर उच्च मूल्य की गुणवत्तायुक्त पुष्प एवं सब्जियों का अधिक उत्पादन लेकर कृषक अधिक आमदनी प्राप्त कर सके, तथा गुणवत्तायुक्त पुष्प एवं सब्जियॉ वर्षभर उपभोक्ता को उपलब्ध हो सके।

योजना में एकीकृत बागवानी विकास मिषन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी. ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्राईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीनहाऊस, शेडनेट एवं प्लास्टिक लो–टनल इत्यादि के निर्माण हेतु कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

| क्र. | वर्ष | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016–17 | 494.25 | 222.16 | 2646.67 | 2623.97 | 335 |
| 2 | 2017–18 | 1576.48 | 855.83 | 1930.08 | 1717.93 | 903 |
| 3 | 2018–19 | 1972.72 | 959.46 | 1932.49 | 1305.02 | 921 |
| 4 | 2019–20 | 1540.22 | 1074.61 | 1782.28 | 1554.62 | 1066 |

## 8. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

उद्यानिकी फसलों की खेती के उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते है, अतः ऐसे कृषको को योजनान्तर्गत यंत्रवार इकाई लागत का 50% अधिकतम निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है :–

| क्र | नाम यंत्र/उपकरण | इकाई लागत | अधिकतम अनुदान (रूपये) |
|---|---|---|---|
| 1 | पोटेटो प्लांटर/डिगर | 60,000 | 30,000 |
| 2 | गार्लिक/ओनियन, प्लांटर/डिगर | 60,000 | 30,000 |
| 3 | ट्रेक्टर माउण्टेड ऐरोब्लास्टर स्प्रेयर | 1,50,000 | 75,000 |
| 4 | पावर आपरेटेड प्रूनिंग मषीन | 40,000 | 20,000 |
| 5 | फागिंग मषीन | 20,000 | 10,000 |
| 6 | मल्व लेईंग मषीन | 60,000 | 30,000 |
| 7 | पावर टिलर | 1,50,000 | 75,000 |
| 8 | पावर वीडर | 1,00,000 | 50,000 |
| 9 | ट्रेक्टर विथ रोटावेटर (अधिकतम 20 एच.पी.) | 3,00,000 | 1,50,000 |
| 10 | ओनियन/गार्लिक मार्कर | 1,000 | 500 |
| 11 | पोस्ट होल डिगर (अर्थ अगर) | 1,00,000 | 50,000 |
| 12 | ट्रीप्रूनर | 90,000 | 45,000 |
| 13 | प्लांट हेज ट्रिमर | 70,000 | 35,000 |
| 14 | मिस्ट ब्लोअर | 60,000 | 30,000 |
| 15 | पॉवर स्प्रे पम्प | 50,000 | 25,000 |
| 16 | ट्रेक्टर आपेरेटर वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर | 1,00,000 | 50,000 |
| 17 | हेन्ड हेल्ड वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर | 1,500 | 750 |

| क्र. | वर्ष | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016—17 | 1007 | 687 | 728.00 | 632.48 | 687 |
| 2 | 2017—18 | 1909 | 1531 | 880.52 | 820.20 | 1531 |
| 3 | 2018—19 | 1869 | 1327 | 946.52 | 617.22 | 1327 |
| 4 | 2019—20 | 1906 | 1666 | 727.45 | 441.38 | 1666 |

## 9. औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना

योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने हेतु 0.25 हेक्टर से 2 हेक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है। विभाग द्वारा आंवला, अश्वगंधा, बेल, कोलियस, गुड़मार, कालमेघ, सफेद मुसली, सर्पगंधा, शतावर एवं तुलसी की फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु भारत सरकार की गाईड लाईन में निर्धारित लागत मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है :—

| क्र. | वर्ष | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016—17 | 489.18 | 391.48 | 80.00 | 77.81 | 911 |
| 2 | 2017—18 | 664.80 | 433.80 | 96.40 | 48.93 | 882 |
| 3 | 2018—19 | 409.84 | 267.35 | 100.79 | 52.77 | 392 |
| 4 | 2019—20 | 488.09 | 439.20 | 73.46 | 53.77 | 493 |

## 10. फल, सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

इंदौर में स्थापित फल सब्जी परिरक्षण प्रषिक्षण केन्द्र में फल एवं सागभाजी के परिरक्षित पदार्थ जैसे जेम, जैली, अचार, मुरब्बा, शरबत, केन्डी एवं अन्य परिरक्षित पदार्थ तैयार करने का प्रषिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक सत्र में 30 प्रषिक्षणार्थी प्रषिक्षण प्राप्त करते है।

| क्र | वर्ष | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2016—17 | 648 |
| 2 | 2017—18 | 1484 |
| 3 | 2018—19 | 904 |
| 4 | 2019—20 | 1472 |

## 11. शासकीय रोपणियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण

विभाग द्वारा प्रदेश के 52 जिलों में कुल 305 रोपणी/प्रक्षेत्र/पार्क संचालित किये जा रहे है। इनमें से अधिकतम रोपणियों की स्थापना 30—35 वर्ष पूर्व की गई थी। रोपणियों में उच्च गुणवत्तायुक्त पौधे रोपण सामग्री उत्पादन की क्षमता में विकास एवं रोपणी/प्रक्षेत्र/पार्क के उन्नयन की महती आवश्यकता है।

शासकीय रोपणियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रो को सुदृढ़ीकरण अंतर्गत विभाग की 100 नर्सरियों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 20 रोपणियों के उन्नयन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें रोपणियों में मूलभूत अधोसंरचनाओं को सुदृढ़ किया जाकर उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री के उत्पादन में वृद्धि की जायेगी।

## 12. मौसम आधारित फसल बीमा योजना :–

प्रदेश में उद्यानिकी कृषकों की फसलों के बीमा हेतु वर्ष 2013–14 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत खरीफ की फसलें–बैंगन, प्याज, टमाटर, केला, पपीता, मिर्च एवं संतरा तथा रबी मौसम की फसलें–आलू, टमाटर, बैगन, प्याज पत्तागोभी, फूलगोभी, हरी मटर, धनिया, लहसुन, आम, अंगूर एवं अनार फसलें शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से मौसम आधारित फसल बीमा हेतु नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त फसलों की बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक द्वारा एवं शेष प्रीमियम का 50:50 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है योजना के मापदण्डों के अनुरूप मौसम के निर्धारित घटकों में विचलन आने पर कृषकों को क्लेम देय होता है।

(राषि करोड़ रूपये में)

| वर्ष | बीमित कृषक संख्या | रकबा (हेक्टेयर) | कुल प्रीमियम राशि (करोड़ रूपये में) | दावा भुगतान | हितग्राही कृषक संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | 516053 | 330847 | 223.55 | 189.46 | 343545 |
| 2017–18 | 427910 | 268767 | 182.05 | 237.85 | 343139 |
| 2018–19 | 419583 | 299090 | 204.35 | 402.78 | 319901 |
| 2019–20 | 272481 | 183369 | 134.87 | – | – |

## 13. नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण :–

शासन द्वारा मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के संरक्षण एवं प्रदूषण मुक्त करने के साथ क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नदी के दोनों तटों पर 1–1 किलोमीटर की पट्टी तक निजी भूमि में फल पौध रोपण की योजना वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक के लिए स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत प्रथम वर्ष में 5000 द्वितीय वर्ष में 20000 तथा तृतीय वर्ष में 20000 कुल 45000 हेक्टेयर में फल पौध रोपण कराने हेतु कृषकों को अनुदान हेतु राशि रूपये 534.20 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2017–18 में नर्मदा तट/मनरेगा अंतर्गत 11440 हेक्टे. क्षेत्र में 15080 कृषकों के यहॉ 44.45 लाख एवं नर्मदातट/मनरेगा/बेसिन क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में 11943 हेक्टे. क्षेत्र में 18647 कृषकों के यहॉ 46.61 लाख फलदार पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2019–20 से 2020–21 तक कृषकों को रोपित फलोद्यानों के रखरखाव हेतु अनुदान की पात्रता है।

## 14. उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना

:– मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता दिनांक 06.08.2016 को लागू हुई। जिसके तहत कृषको/उद्यमियों को उनकी उपज का समुचित मूल्य एवं रोजगार के सृजन स्थापित हुये। प्रदेश सरकार द्वारा जारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता की मार्गदर्शिका के अनुसार निम्न गतिविधियों पर निम्नानुसार अनुदान का प्रावधान था।

| क्रं. | नाम गतिविधि | अनुदान सहायता प्रति इकाई अधिकतम |
|---|---|---|
| 1. | निवेश संवर्धन सहायता | इकाई को 10 वर्षो के लिये अधिकतम सीमा किये |

| | | |
|---|---|---|
| | | गये निवेश का अधिकतम 200 प्रतिशत राशि |
| 2. | विद्युत खपत सहायता | रूपये 1.00 प्रति विदयुत इकाई की दर से राशि |
| 3. | प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर प्रतिपूर्ति | 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 5.00 लाख |
| 4. | शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रतिपूर्ति | 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 5.00 लाख |
| 5. | परिवहन पर प्रतिपूर्ति | परिवहन पर व्यय की गई राशि के 30 प्रतिशत के दर से अधिकतम 10.00 लाख प्रति वर्ष |
| 6. | लागत पूंजी अनुदान | 25 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 2.50 करोड़ |
| 7. | मेगा फूड पार्क | 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 5.00 करोड़ |
| 8. | फूड पार्क | 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 5.00 करोड़ |

| वर्ष | इकाई | वित्तीय राशि करोड़ में | | हितग्राही संख्या | प्राप्त निवेश | सृजित रोजगार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रावधान | व्यय | | | |
| 2017-18 | संख्या | 57.00 | 48.70 | 120 | 240.00 | 6300 |
| 2018-19 | संख्या | 30.00 | 27.00 | 50 | 125.00 | 2400 |
| 2019-20 | संख्या | 41.00 | 31.01 | 114 | 185.00 | 2700 |

म.प्र. उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता दिनांक 06.08.2016 से निरंतर है नीति के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन कर सुसंगत दस्तावेजो को परीक्षण उपरांत (प्रथम एवं धितीय किश्त) अनुसार ही अनुदान सहायता देय है। बैंक ऋण स्वीकृति उपरांत ही आवेदन की गणना अनुसार अनुदान सहायता देय एवं प्लांट एवं मशीनरी की अधिकतम राशि 10.00 करोड़ के ही आवेदन मान्य किये जाते है।

15. **उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखता की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना** :– खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नवीन नीति वर्ष 2016 में स्वीकृत कराई गयी जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जावेगा। नश्वर उत्पादों की भण्डार क्षमता में वृद्धि हेतु प्याज भण्डारण गृह निर्माण की विशेष योजनान्तर्गत 2 वर्षो में 5 लाख मी. टन शीतगृह भण्डारण एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में 5 लाख मी. टन प्याज भण्डारण क्षमता वृद्धि तथा 500 कोल्ड रूम निर्माण की योजना स्वीकृत कराई गयी।

इस रणनीति के तहत प्याज भण्डारण की क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 137225 मीट्रिक टन क्षमता के प्याज गृह निर्मित हो चुके है। इस प्रकार अभी तक कुल क्षमता 2.75 लाख मीट्रिक टन विकसित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 3.028 लाख मीट्रिक टन क्षमता के प्याज भण्डार गृह निर्माणाधीन है।

नश्वर उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज हेतु 02 वर्षो में 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 3.32 लाख मीट्रिक टन क्षमता विकसित हो रही है।

16. **मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना** :– मध्यप्रदेश के कृषकों के लिये यह योजना प्याज का विक्रय समर्थन मूल्य से कम पर होने से कृषकों को हानि से बचाने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर की राशि प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने हेतु वर्ष 2019–20 के लिये लागू की गई थी।

## ब. केन्द्र पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
4. राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन (NMMP)

### 1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रांश 60%, एवं राज्यांश 40% )

मध्य प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन वर्ष 2005–06 से लागू किया गया है तथा वर्तमान में प्रदेश के 40 जिले मिशन मे शामिल है चयनित जिलों की सूची निम्नानुसार है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. भोपाल | 2. बैतूल | 3. होशंगाबाद | 4. सागर |
| 5. जबलपुर | 6. छिंदवाड़ा | 7. उज्जैन | 8. शाजापुर |
| 9. मंदसौर | 10. रतलाम | 11. देवास | 12. इंदौर |
| 13. धार | 14 झाबुआ | 15. खरगौन | 16 खण्डवा |
| 17 मण्डला | 18. डिण्डोरी | 19. बुरहानपुर | 20. बड़वानी |
| 21. रीवा | 22. सतना | 23. हरदा | 24. राजगढ |
| 25. गुना | 26. नीमच | 27. ग्वालियर | 28. छतरपुर |
| 29. सीहोर | 30. विदिशा | 31. सीधी | 32. अलीराजपुर |
| 33. सिंगरौली | 34. अशोकनगर | 35. रायसेन | 36. दमोह |
| 37. पन्ना | 38. टीकमगढ़ | 39. दतिया | 40. आगर–मालवा |

**उद्देश्य**

- मिशन अवधि में उद्यानिकी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन दो गुना करना ।
- मिशन के अंतर्गत चयनित 40 जिलों में आम, आंवला, संतरा, अमरूद, अनार, सीताफल, बेर, केला, पपीता, धनियां, अदरक, हल्दी, लहसुन, मिर्च एवं पुष्प फसलों का विकास करना ।
- उच्च प्रजाति के पौधों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बड़ी एवं छोटी मॉडल रोपणियों की स्थापना।
- पौध रोपण अधोसंरचना का विकास ।
- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देना ।
- संरक्षित खेती अंतर्गत पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस का निर्माण एवं प्लास्टिक मल्चिंग को बढ़ावा।
- फसलोत्तर प्रबंधन प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, निर्यात की सुविधाओं के विस्तार के लिए अधोसंरचना विकास करना ।
- आधुनिक तकनीकी का कृषकों को प्रशिक्षण ।
- उद्यानिकी फसलों पर अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ।

**फोकस फसलें**

**फल** : आम, संतरा, अमरूद, आंवला, पपीता, केला एवं अनार,

**मसाले** : धनियाँ, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन

**पुष्प** : कट फ्लावर, बल्बस फ्लावर, लूज फ्लावर

**अनुदान व्यवस्था :–**

एकीकृत बागवानी विकास मिशन में संचालित योजनाओं में घटकवार दी जाने वाली सहायता के लागत मापदंड तथा अनुदान सहायता का विवरण परिषिष्ट–1 पर दिया गया है।

**वर्षवार आवंटन तथा व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है**

(राशि लाख में)

| वर्ष | आवंटन राशि | व्यय राशि |
|---|---|---|
| 2016–17 | 7559.00 | 2607.35 |
| 2017–18 | 5000.00 | 4801.93 |
| 2018–19 | 5652.00 | 5321.63 |
| 2019–20 | 6416.67 | 3542.50 |

**1.1 शासकीय एवं निजी क्षेत्र में बीजोत्पादन**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (हेक्टर) | | | | वित्तीय (लाख में) | | | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | | पूर्ति | | प्रावधान | | व्यय | | |
| | | शा. | निजी | शा. | निजी | शा. | निजी | शा. | निजी | |
| 2016–17 | हेक्टर | 100.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 36.75 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 2 |
| 2017–18 | हेक्टर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2018–19 | हेक्टर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2019–20 | हेक्टर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

**1.2 नये फलोद्यानों की स्थापना**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | हेक्टर | 1400 | 15.65 | 618.59 | 242.79 | 119 |
| 2017–18 | हेक्टर | 750 | 245.35 | 281.20 | 119.02 | 157 |
| 2018–19 | हेक्टर | 150 | 143.525 | 18.00 | 17.22 | 183 |
| 2019–20 | हेक्टर | 450 | 115.70 | 66.00 | 24.90 | 207 |

**1.3 सब्जी क्षेत्रविस्तार (संकर)**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | हेक्टर | 1000.00 | 67.44 | 510.00 | 333.05 | 500 |
| 2017–18 | हेक्टर | 0.00 | 0.00 | 23.48 | 9.588 | 00 |
| 2018–19 | हेक्टर | 405 | 179.88 | 81.00 | 23.09 | 193 |
| 2019–20 | हेक्टर | 4300 | 497.849 | 860 | 99.57 | 899 |

**1.4 पुष्प क्षेत्र विस्तार :**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | हेक्टर | 790.00 | 7.38 | 186.25 | 21.90 | 530 |
| 2017–18 | हेक्टर | 0.00 | 0.00 | 6.490 | 0.556 | 0 |
| 2018–19 | हेक्टर | 373.50 | 49.36 | 70.80 | 6.39 | 82 |
| 2019–20 | हेक्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.5 मसाला क्षेत्र विस्तार :**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | हेक्टर | 1000.00 | 112.31 | 128.68 | 33.43 | 1533 |
| 2017–18 | हेक्टर | 0.00 | 0.00 | 0.200 | 0.030 | 0 |
| 2018–19 | हेक्टर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019–20 | हेक्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.6 जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार/प्रति स्थापना :**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | हेक्टर | 1500.00 | 0.00 | 445.71 | 268.72 | 506 |
| 2017–18 | हेक्टर | 700.00 | 313.45 | 246.17 | 82.634 | 449 |
| 2018–19 | हेक्टर | 183 | 143.38 | 70.12 | 58.03 | 132 |
| 2019–20 | हेक्टर | 2000 | 0 | 400.00 | 0 | 0 |

## 1.7 संरक्षित खेती

I. ग्रीन हाऊस ढांचा :

| वर्ष | इकाई | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | हेक्टर | 24.00 | 9.05 | 1420.20 | 756.53 | 82 |
| 2017–18 | हेक्टर | 15.00 | 14.334 | 926.29 | 561.708 | 51 |
| 2018–19 | हेक्टर | 6 | 5.89 | 529.67 | 496.95 | 17 |
| 2019–20 | हेक्टर | 0.40 | 0 | 16.88 | 0 | 1 |

II.प्लास्टिक मल्चिंग :

| वर्ष | इकाई | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | हेक्टर | 3000.00 | 1705.14 | 480.00 | 199.82 | 2185 |
| 2017–18 | हेक्टर | 2100.00 | 927.737 | 526.10 | 161.375 | 900 |
| 2018–19 | हेक्टर | 875 | 473.75 | 234.67 | 157.313 | 251 |
| 2019–20 | हेक्टर | 198 | 152.50 | 31.68 | 24.40 | 156 |

III. छायादार जाली गृह (शेडनेट) :

| वर्ष | इकाई | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | हेक्टर | 5.00 | 4.64 | 313.55 | 389.23 | 48 |
| 2017–18 | हेक्टर | 18 | 17.91 | 692.49 | 495.521 | 58 |
| 2018–19 | हेक्टर | 42.27 | 41.13 | 1639.55 | 1191.065 | 117 |
| 2019–20 | हेक्टर | 3.7 | 0 | 131.35 | 0 | 0 |

## 1.8 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट :

| वर्ष | उप घटक | इकाई | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | स्थाई ढांचा | संख्या | 132 | 26 | 532.48 | 99.38 | 96 |
| | HDPE | संख्या | 800 | 122 | 64.00 | 54.56 | 246 |
| 2017–18 | स्थाई ढांचा | संख्या | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | HDPE | संख्या | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2018–19 | स्थाई ढांचा | संख्या | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | HDPE | संख्या | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2019–20 | स्थाई ढांचा | संख्या | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | HDPE | संख्या | 10200 | 4607 | 816.00 | 368.56 | 4607 |

## 1.9 मानव संसाधन विकास

**कृषकों का प्रशिक्षण सह भ्रमण :—**

कृषकों को राज्य के अंदर तथा बाहर भ्रमण कराकर उद्यानिकी की नवीन तकनीकी से अवगत कराने प्रशिक्षित कराया जाता है।

I. **राज्य के भीतर प्रशिक्षण सह भ्रमण :—**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016—17 | संख्या | 3533 | 1486 | 137.84 | 71.96 | 2745 |
| 2017—18 | संख्या | 5144 | 5144 | 178.5 | 168.7 | 5144 |
| 2018—19 | संख्या | 20276 | 20000 | 235.60 | 117.96 | 20000 |
| 2019—20 | संख्या | 2500 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |

II. **राज्य से बाहर प्रशिक्षण सह भ्रमण :—**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016—17 | संख्या | 100 | 62 | 4 | 4 | 106 |
| 2017—18 | संख्या | 2343 | 2343 | 186.75 | 186.75 | 2343 |
| 2018—19 | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019—20 | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1.10 फसलोत्तर प्रबंधन

**I. पैक हाऊस निर्माण :—**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016—17 | संख्या | 80 | 20 | 309.10 | 238.36 | 52 |
| 2017—18 | संख्या | 53 | 36 | 236.80 | 32.00 | 44 |
| 2018—19 | संख्या | 130 | 88 | 291.90 | 163.29 | 63 |
| 2019—20 | संख्या | 150 | 0 | 300.00 | 0 | 0 |

**II. कोल्ड स्टोरेज :—**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016—17 | संख्या | 12 | 14 | 2380.00 | 799.03 | 13 |
| 2017—18 | संख्या | 18 | 20 | 3533.00 | 1386.60 | 18 |
| 2018—19 | संख्या | 6 | 2 | 1824.12 | 1529.26 | 2 |
| 2019—20 | संख्या | 5 | 5 | 420.40 | 420.40 | 5 |

**III. कम लागत का प्याज भण्डार गृह :–**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | संख्या | 300 | 192 | 457.80 | 319.00 | 192 |
| 2017–18 | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**मशरूम उत्पादन :–**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2018–19 | संख्या | 7 | 4 | 54.00 | 30.00 | 3 |
| 2019–20 | संख्या | 9 | 9 | 68.00 | 68.00 | 9 |

**मधुमक्खी पालन :–**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2018–19 | संख्या | 7794 | 7773 | 77.25 | 75.57 | 362 |
| 2019–20 | संख्या | 14051 | 11254 | 120.00 | 90.68 | 465 |

**बागवानी यंत्रीकरण :–**

| वर्ष | इकाई | भौतिक (संख्या) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2018–19 | संख्या | 4283 | 3180 | 1416.25 | 362.44 | 3180 |
| 2019–20 | संख्या | 6463 | 2179 | 1994.00 | 938.95 | 2179 |

## 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

I. केन्द्र प्रवर्तित माइक्रोइरीगेशन योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (च्ड्झैल) में शामिल किया जाकर योजना का नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (च्ड्झैल) के घटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप'' (माइक्रोइरीगेशन) किया गया है।

II. योजना का उद्देष्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र तथा उत्पादन एवं उत्पादकीय गुणवत्ता को बढ़ाना।

III. यह योजना प्रदेष के सभी जिलों में लागू है।

IV. योजना में प्रत्येक हितग्राही को कम से कम 0.4 हेक्टर एवं अधिकतम 5.000 हेक्टर तक ड्रिप संयंत्र में तथा न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर एवं अधिकतम 5.000 हेक्टेयर स्प्रिंकलर का लाभ दिया जा सकता है।

V. योजनान्तर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि विभाग में पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर सिस्टम क्रय कर सकतें हैं।

योजनांतर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना करने पर कुल लागत का निम्नानुसार प्रतिषत में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

| क्र | कृषक श्रेणी | वर्ग | योजनान्तर्गत प्रावधानित अनुदान % | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | केन्द्रांश (60%) | राज्यांश (40%) | योग |
| 1 | लघु/सीमांत कृषक | अ.जा./अ.ज.जा./सा. | 33 | 22 | 55 |
| 2 | बड़े कृषक | अ.जा./अ.ज.जा./सा. | 27 | 18 | 45 |

**ड्रिप/स्प्रिकलर स्थापना की वर्षवार भौतिक वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है।**

| वर्ष | इकाई | भौतिक | | वित्तीय (लाख रूपये में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | प्रावधान | व्यय | |
| 2016–17 | हेक्टेयर | 71665.00 | 57798.70 | 30544.00 | 24303.41 | 51649 |
| 2017–18 | हेक्टेयर | 78227.4 | 33538.2 | 27000.00 | 20400.97 | 24902 |
| 2018–19 | हेक्टेयर | 40750.383 | 35062.799 | 14792.00 | 11284.57 | 26093 |
| 2019–20 | हेक्टेयर | 32357 | 22321.30 | 20000.00 | 9952.73 | 16973 |

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –रफ्तार :–

**3.1 क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती:–**

योजनान्तर्गत अधिकतम 4000 वर्गमीटर से न्यूनतम 1000 वर्गमीटर तक सभी वर्ग के कृषकों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन की गाईडलाईन अनुसार शेडनेट हाउस निर्माण लागत राशि रूपये 710/– प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रूपये 355/– प्रति वर्गमीटर, पॉली हाउस निर्माण पर लागत राशि रूपये 844/– प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रूपये 422/– प्रति वर्गमीटर, उन्न कोटि के फूलों की खेती (जरबेरा/कार्नेशन) हेतु लागत राशि रूपये 610/– प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रूपये 305/– प्रति वर्गमीटर एवं उच्च कोटि की सब्जी की खेती हेतु लागत राशि रूपये 140/– प्रति वर्गमीटर का अधिकतम अनुदान 70/– प्रति वर्गमीटर सहायता देय है।

**3.2 प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड:–**

योजनान्तर्गत सभी वर्ग के कृषकों को अधिकतम 2642 वर्ग मीटर एवं न्यूनतम 635 वर्गमीटर के निर्मित तालाबों पर प्लास्टिक लाईनिंग हेतु लागत राशि का अधिकतम रूपये 50.275 प्रति वर्गमीटर के मान से अनुदान देय है।

**3.3 उद्यानिकी कृषकों को प्लास्टिक क्रेट हेतु सहायता :–**

उयोजनान्तर्गत उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले सभी वर्ग के कृषकों को अधिकतम 50 क्रेटस व न्यूनतम 10 क्रेटस 50 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम राशि रूपये 150/– प्रति क्रेटस के मान से अनुदान सहायता देय है।

**3.4 कृषकों के क्षेत्र पर प्लग टाईप सीडलिंग उत्पादन को बढ़ावा :–**

योजनान्तर्गत सभी वर्ग के कृषकों को कृषकों को अधिकतम 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में वाक इन टनल की स्थापना एवं सीडलिंग उत्पादन हेतु 1000 सीडलिंग ट्रे पर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रूपये 1.625 लाख का प्रावधान है।

**3.5 प्लास्टिक मल्चिंग कृषकों को सहायता:–**

योजनान्तर्गत फल एवं सब्जियों की खेती करने वाले सभी वर्ग के कृषकों को अधिकतम 2.00 हेक्टेयर एवं न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर तक लागत राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 16000/– प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता देय है।

**3.6 फूलों की खेती को बढ़ावा देना:–**

योजनान्तर्गत अधिकतम 2.00 हेक्टेयर एवं न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर तक लघु सीमांत कृषकों कोएकीकृत उद्यानिकी विकास मिशन की गाईडलाईन अनुसार प्रति हेक्टेयर बल्बस फ्लावर हेतु लागत राशि रूपये 150000/– का 40 प्रतिशत अनुदान रूपये 60000/– प्रति हेक्टेयर तथा लूज फ्लावर हेतु लागत राशि रूपये 40000/– का 40 प्रतिशत राशि रूपये 16000/– प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता देय है।

**3.7 उच्च तकनीकी से पान की खेतीः—**

योजनान्तर्गत पान की खेती करने वाले सभी वर्ग के कृषकों को अधिकतम 500 वर्गमीटर क्षेत्र में पान बरेजा लगाने हेतु इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 42000/— अनुदान सहायता देय है।

**3.8 काजू क्षेत्र विस्तार :—**

योजनान्तर्गत कसभी वर्ग के हितग्राहियों को स्वयं की भूमि पर काजू पौध रोपण हेतु अधिकतम 4.00 हेक्टेयर एवं न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर तक 7 X 7 मीटर की दूरी पर काजू पौध रोपण हेतु एकीकृत उद्यानिकी विकास मिशन की गाईडलाईन अनुसार इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान सहायता अधिकतम राशि रूपये 20000/— प्रति हेक्टेयर तीन वर्षो में क्रमशः 60:20:20 के अनुपात में देय है।

**3.9 Establishment of "Model Nurseries" for massive Production of Genuine and Disease free planting Material of Improved varieties of Citrus (Mandarin, Sweet Orange and Acidlime) for KVK, Gwalior and Neemuch -** उच्च प्रजाति के रोग रहित पौध उत्पादन हेतु प्रोजेक्ट के आधार पर KVK ग्वालियर एवं नीमच को राशि रूपये 95.00 लाख राशि प्रदाय की गई है।

## राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की वर्षवार, प्रोजेक्टवार भौतिक वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है :—

## राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016—17 की प्रगति

(राशि लाख रूपये मे)

| क्र | नाम योजना | इकाई | लक्ष्य | | रिलीज | पूर्ति | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक | वित्तीय | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | |
| 1 | उच्च तकनीक से पान की खेती | संख्या | 1000 | 420.00 | 381.60 | 823 | 381.61 | 823 |
| 2 | ग्रीष्म कालीन तरबूज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय संकर बीज वितरण | संख्या | 7500 | 262.50 | 195.96 | 5625 | 195.96 | 5625 |
| 3 | अनार क्षेत्र विस्तार एवं रखरखाव | हेक्टर | 4000 | 600.00 | 500.00 | 2437 | 500 | 2437 |
| 4 | रोपणी उन्नयन (प्लग टाईप सीडलिंग फॉर ग्रांईग वेजीटेबल) | संख्या | 3 | 287.69 | 41.65 | 1 | 41.65 | 0 |
| 5 | अनार क्षेत्र विस्तार | हेक्टर | 2000 | 900.00 | 432.03 | 1287 | 432.03 | 1287 |
| 6 | प्याज भण्डार गृह | संख्या | 3173 | 4375.00 | 3024.00 | 1953 | 3024 | 1953 |
| 7 | बड़े शहरों के आसपास सब्जी क्षेत्र विस्तार | हेक्टर | 4000 | 1000.00 | 909.35 | 3682 | 909.34 | 3682 |
| 8 | पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस में उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जी एवं पुष्प जरबेरा , गुलाब की खेती की लागत पर आर्थिक सहायता | हेक्टर | 23 | 574.40 | 500.00 | 41 | 500 | 112 |
| 9 | प्लास्टिक क्रेट वितरण | संख्या | 200000 | 300.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | माइक्रोइरीगेशन | हेक्टर | 5000 | 2500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | उद्यानिकी रोपणियों एवं पार्क का सुदृढ़ीकरण | संख्या | 8 | 644.50 | 549.50 | 8 | 549.5 | 0 |
| योग — | | संख्या | 211684 | 11864.09 | 6534.09 | 8410 | 6534.09 | 15919 |
| | | हेक्टर | 15023 | | | 7487 | | |
| | प्रशासनिक व्यय | — | — | 118.64 | 44.23 | — | 44.23 | 0 |

| कुल योग – | – | – | 11982.73 | 6578.32 | 0.00 | 6578.32 | 15919 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2017–18 की प्रगति

(राशि लाख रूपये मे)

| क्र | नाम योजना | इकाई | लक्ष्य | | रिलीज | पूर्ति | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक | वित्तीय | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | |
| 1 | क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती | हेक्टर | 50 | 2495.45 | 1134.80 | 38 | 1134.80 | 56 |
| 2 | प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड | वमी. | 33,33,333 | 2000.00 | 330.00 | 656382 | 330.00 | 270 |
| 3 | प्लास्टिक क्रेट वितरण | संख्या | 3,33,333 | 500.00 | 74.00 | 39774 | 74.00 | 1165 |
| 4 | अनार क्षेत्र विस्तार | हेक्टर | 6000 | 1500.00 | 256.85 | 1779 | 256.85 | 1779 |
| 5 | ग्रीष्म कालीन तरबूज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय संकर बीज वितरण | संख्या | 5000 | 250.00 | 20.00 | 492 | 20.00 | 492 |
| 6 | प्याज भण्डार गृह | मी.टन | 57150 | 2000.68 | 1784.83 | 51850 | 1784.83 | 1037 |
| 7 | इस्टेब्लिषमेन्ट ऑफ हार्टीकल्चर रिसर्च एण्ड डिमॉस्ट्रेषन फार्म, गढ़ाकोटा जिला सागर | संख्या | 1 | 55.36 | 55.36 | 1 | 55.36 | 0 |
| 8 | नेचुरली एयर वेन्टीलेटेड ओनियन गोडाउन खाचरोद जिला उज्जैन एवं आष्टा जिला सीहोर (नेफेड प्रोजेक्ट) | मी.टन | 10500 | 915.57 | 915.57 | 10500 | 915.57 | 0 |
| | **योग –** | – | – | **9717.06** | **4571.41** | **760816** | **4571.41** | **4799** |
| | प्रशासनिक व्यय | निरंक | निरंक | 87.46 | 14.00 | निरंक | 14.00 | 0 |
| | **कुल योग –** | – | – | **9804.52** | **4585.41** | **760816** | **4585.41** | **4799** |

# राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2018–19 की प्रगति

(राशि लाख रूपये मे)

| क्र | नाम योजना | इकाई | लक्ष्य | | रिलीज | पूर्ति | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक | वित्तीय | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | |
| 1 | क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती | हेक्टर | 40 | 1360.65 | 1066.17 | 11.50 | 123.38 | 60 |
| 2 | प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड | वमी. | 193400 | 972.35 | 825.20 | 6710 | 0.00 | 3 |
| 3 | प्लास्टिक क्रेट वितरण | संख्या | 200000 | 265.00 | 123.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | अनार क्षेत्र विस्तार | हेक्टर | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | कृषकों के खेतों पर प्लग टाईप सीडलिंग इकाई को बढ़ावा | संख्या | 171 | 299.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | रोपणी उन्नयन (प्लग टाईप सीडलिंग फॉर ग्रोईंग वेजीटेबल) | संख्या | 8643250 | 127.92 | 63.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | कृषकों के खेतों पर जैविक खेती को बढ़ावा | संख्या | 10000 | 999.80 | 999.80 | 7702 | 999.80 | 7702 |
| | **योग –** | – | – | **4024.97** | **3079.09** | – | **1123.18** | **7765** |
| | प्रशासनिक व्यय | – | – | 87.29 | 60.00 | – | 15.008 | 0 |
| | **कुल योग –** | – | – | **4112.26** | **3139.09** | – | **1138.188** | **7765** |

# राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2019–20 की प्रगति

(राशि लाख रूपये मे)

| क्र | नाम योजना | इकाई | लक्ष्य | | रिलीज | पूर्ति | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक | वित्तीय | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | |
| 1 | क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती | हेक्टर | 24.14 | 1010.24 | 1010.24 | 4.20 | 978.247 | 13 |
| 2 | प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड | वर्ग मी. | 1568711 | 825.19 | 825.19 | 698027 | 819.096 | 276 |
| 3 | उद्यानिकी कृषकों को प्लास्टिक क्रेट हेतु सहायता | हेक्टर | 78319 | 123.96 | 123.96 | 75519 | 123.40 | 2993 |
| 4 | फल (अनार) क्षेत्र विस्तार | हेक्टर | 825 | 125.00 | 36.011 | 384 | 30.761 | 258 |
| 5 | कृषकों के प्रक्षेत्र पर प्लग टाईप सीडलिंग उत्पादन को बढ़ावा | संख्या | 182 | 295.75 | 295.75 | 20 | 295.75 | 20 |
| 6 | प्लास्टिक मल्चिंग कृषकों को सहायता | हेक्टर | 2306.25 | 369.00 | 369.00 | 1355.45 | 3.499 | 1277 |
| 7 | फूलों की खेती को बढावा देना | हेक्टर | 4530.25 | 750.00 | 750.00 | 4512.25 | 408.15 | 9052 |
| 8 | उच्च तकनीकी से पान की खेती | संख्या | 485 | 210.00 | 210.00 | | 210.00 | 0 |
| 9 | काजू क्षेत्र विस्तार | हेक्टर | 1430 | 171.66 | 86.67 | 354.70 | 9.803 | 409 |
| 10 | **Establishment of “Model Nurseries” for massive production of Genuine and Disease free planting Material of Improved varieties of Citrus (Mandarin, Sweet Orange and Acidlime) for KVK, Gwalior and Neemuch** | संख्या | 2 | 95.00 | 95.00 | 2 | 95.00 | 2 |
| 11 | शासकीय क्षेत्र में नर्सरी उन्नयन | संख्या | 2 | 100.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | प्रशासनिक व्यय | – | – | 85.392 | 71.59 | – | 34.757 | 0 |
| | योग – | – | – | **4161.21** | **3923.421** | – | **3008.468** | **14300** |

**4. राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन ( केन्द्राश 60% एवं राज्यांश 40% )**

I. प्रदेश में राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन वर्ष 2008–09 से प्रारंभ किया गया है। यह मिशन भारत शासन के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के द्वारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है।

II. योजना के घटक :–
मॉडल बड़ी एवं छोटी रोपणियों की स्थापना (शासकीय/निजी क्षेत्र)
औषधीय पौधों की खेती पर अनुदान।
कृषकों को प्रशिक्षण सह भ्रमण (राज्य के अंदर/बाहर)
राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन।
औषधीय पौधों के फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन पर अनुदान।

**III.** कार्य योजना में वर्तमान में शामिल जिलें :– हरदा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, उज्जैन, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ एवं राजगढ़। वर्षवार भौतिक वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति निम्नानुसार है :–

| क्र. | वर्ष | भौतिक (हेक्टर) | | वित्तीय (लाख में) | | हितग्राही संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | आवंटन | व्यय | |
| 1 | 2016–17 | 2518 | 2480 | 490.882 | 431.29 | 4470 |
| 2 | 2017–18 | 1544 | 128 | 520 | 86.46 | 2502 |
| 3 | 2018–19 | 708 | 337.310 | 257.203 | 0 | 485 |
| 4 | 2019–20 | 790 | 721.949 | 200.63 | 156.09 | 904 |

## स. अन्य योजनायें –

5. **मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी अधिनियम (विनियमन) नियम 2010 का क्रियान्वयन** :– म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 04 जनवरी 2011 के द्वारा जारी मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी अधिनियम (विनियमन) नियम 2010 प्रदेश में लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत फलदार वृक्षो के पौधे उत्पादन एवं विक्रय हेतु विभाग द्वारा लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) जारी की जाती है। जिससे प्रदेश के बागवानी करने वाले कृषकों को उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त हो सकें। इस हेतु अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादको एवं विक्रेताओं पर विभाग द्वारा नियत्रंण किया जाता है।

6. **बीज अधिनियम का क्रियान्वयन** :– म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा म.प्र. राजपत्र दिनांक 5 जनवरी 2007 में प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक – 6 में आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड–11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उद्यानिकी फसलों के बीजो के लिये समस्त उप/सहायक संचालक उद्यान/परियोजना अधिकारी उद्यान को अपने– अपने जिले के लिये अनुज्ञापन (लाइसेंस) अधिकारी एवं निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। बीज अधिनियम के प्रावधान अनुसार विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों के प्रदेश में विक्रय किये जाने वाले बीजों की गुणवत्ता पर नियंत्रण किया जाता है।

# भाग–4

# सामान्य प्रशासनिक विषय

**1. न्यायालयीन कार्य :**

वर्ष 2019–20 (माह 31 जनवरी, 2020 तक) में समस्त प्रकार के कुल 168 न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है।

- उच्चतम न्यायालय प्रकरण 03
- उच्च न्यायालय प्रकरण 148
- जिला एवं सत्र न्यायालय प्रकरण 00
- श्रम न्यायालय प्रकरण 10
- औद्योगिक न्यायालय प्रकरण 04
- उपभोक्ता फोरम न्यायालय प्रकरण 02

**2. नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां**

वर्ष 2019–20 (31 मार्च, 2020 तक) में अनुकंपा नियुक्ति से सहायक ग्रेड–3– 04 एवं भृत्य–01 इस प्रकार 05 रिक्त पदों की पूर्ति की गई है।

**3. विभागीय जांच**

वर्ष 2019–20 (31 जनवरी, 2020 तक) में राजपत्रित श्रेणी के 13 एवं अराजपत्रित श्रेणी के 23 इस प्रकार कुल 36 विभागीय जांच के प्रकरण प्रचलित है।

# भाग–5

## वर्ष 2019–20 में महोत्सव/सेमिनारों में विभागीय सहभागिता

प्रदेश में फसल विशेष को क्षेत्र विशेष में बढ़ावा देने हेतु आयोजन किये जाने के उद्देश्यि से प्रथम चरण में निम्नानुसार आयोजन किये गये :–

1. **मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश 2019** :– प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए एवं मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 17 से 19 अक्टूबर–2019 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का आयोजन राज्य शासन द्वारा किया गया था जिसमें देश और विदेश की नामी कंपनियों ने सहभागिता की। इस समारोह में उद्यानिकी विभाग के द्वारा सहभागिता के तहत निवेशकों को विभागीय योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया।
2. **कॉर्न फेस्टिवल 2019** :– छिन्दिवाड़ा में कृषि की फसल ''कॉर्न'' को बढ़ावा देने हेतु ''कॉर्न फेस्टिवल'' दिनांक 15 एवं 16 दिसंबर 2019 को आयोजित समारोह में उद्यानिकी फसलों, विभागीय योजनाओं तथा खाद्य प्रसंस्करण के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी दी गई।
3. **मिर्च महोत्सव–2020** खरगौन जिले के कसरावद क्षेत्र, जहां पर मिर्च की खेती बहुतायत में होती है, वहां मिर्च फेस्टिवल का आयोजन दिनांक 29 फरवरी एवं 1 मार्च 2020 को किया गया, जिसमें देश के विख्यात कृषि वैज्ञानिको को व्याख्यात देने के लिये आमंत्रित किया गया। इसमें मिर्च के उत्पादन से लेकर भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधी लगभग 145 स्टाल निजी संस्थाओं द्वारा प्रदर्शित किये गये एवं दो दिवस में लगभग 50,000 कृषकों द्वारा भाग लिया गया।

# भाग–6

# अभिनव योजना

1. विभाग द्वारा सभी जिलों का डी एच पी (क्पेजतपबज भ्वतजपबनसजनतम च्संद) तैयार किया जा रहा है।
2. सभी योजनाओं के लिये हितग्राही द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के आधार पर अनुदान की स्वीकृति जारी किये जाने की व्यवस्था की गई है।
3. विभिन्न विषयों के 22 विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया है, जो कृषकों को समय–समय पर तकनीकी सलाह देंगे।
4. विभिन्न उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने के लिये मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रेकिंग सिस्टम लागू किया गया है।
5. आम की प्रसंस्कृत किस्म तोतापरी का होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिलों में वृक्षारोपण।

# भाग–7

# विभागीय प्रकाशन

**तकनीकी साहित्य**

विभाग द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी छपवाकर संभाग/जिला एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों तक पहुॅचाई जाती है। साथ ही उद्यानिकी फसलें जैसे आम, संतरा, नीबू, केला, पपीता, अनार, ऑवला, सब्जियों, मसाला, औषधीय एवं पुष्प आदि के तकनीकी ज्ञान का साहित्य छपवाकर कृषकों को कार्यषाला/सेमीनार/प्रदर्षनी में भी वितरित किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण निवेशकों के लिये कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन कर उपलब्ध कराई गई।

# भाग–8

# सारांश

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि को लाभ का स्वरूप प्रदाय करने हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग के माध्यम से उद्यानिकी फसलों (फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प औषधीय पौधे, सुगंधित पौधो) की खेती एवं कृषि/उद्यानिकी फसलों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

कृषि को लाभ का स्वरूप प्रदाय करने हेतु उद्यानिकी एवं कृषि आधारित उद्योग सशक्त माध्यम है। प्रदेश में उद्यानिकी के समग्र विकास हेतु कृषको को प्रशिक्षण भ्रमण, (स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय) कराकर तकनीकी ज्ञान एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु उन्नत पौध रोपण सामग्री, बीज आदि हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती, टपक सिंचाई पद्धति, फसलोत्तर प्रंबधन, मौसम आधारित फसल बीमा तथा कृषि फसलों पर आधारित उद्योगों की स्थापना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के द्वारा प्रदेश के कृषकों तथा उद्यमियों को अनुदान सहायता प्रदाय कर प्रदेश की उन्नति हेतु विभाग महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

# मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

M P AGRO

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तत्पर


तृतीय तल, पंचानन भवन, मालवीय नगर भोपाल

दूरभाष 0755–2551807, 2551967, 2551756

फेक्स 0755–2557305

# मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योंग विकास निगम मर्यादित भोपाल

**स्थापना –**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी में 21 मार्च 1969 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापना हुई । निगम की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 500.00 लाख है एव प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 329.49 लाख है जिसमें से भारत सरकार का अंश रूपये 120.00 लाख है एवं राज्य शासन का अंश रूपये 209.49 लाख है ।

**उद्देश्य –**

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना ।
2. सहायक एवं संपूरक खाद्यान्न की उपलब्धता की वृद्धि में योगदान ।
3. कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना ।

**मुख्य गतिवधियां –**

1. रासायनिक उर्वरक, यंत्रीकृत कृषि मे ट्रेक्टर, पॉवर टिलर, पंपसेट, कृषि उपकरण, स्प्रिंकलर एवं टपक सिंचाई यंत्र, पौध संरक्षण, टूलकिट, हाइब्रिड एवं टिश्यू कल्चर से उत्पादित बीज एवं पौधो का विपणन ।
2. उन्नत कृषि उपकरण, ट्रेलर, टेंकर, का निर्माण एवं प्रदाय ।
3. बायोगैस संयंत्रों की स्थापना ।
4. जीवाणु खाद का उत्पादन तथा विपणन ।
5. कृषि आधारित उद्योगो की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा निगम को नोडल एजेन्सी नामांकित किया गया है ।
6. पोषण आहार का उत्पादन एवं प्रदाय ।

**कृषि आदान विपणन नीति–**

1. कृषि आदानो की खरीदी के लिये शासन के निर्देशानुसार कृषक खुले बाजार से सामग्री क्रय करने के लिये स्वतंत्र है ।
2. शासन की खुली नीति के अनुरूप निगम द्वारा अन्य विक्रेताओं की तरह डीलर के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है ।
3. शासन की नीतियो के अंतर्गत अनुदान जिले के उपसंचालक द्वारा देय होता है ।

# मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
## . प्रशासनिक संरचना (निगम का ढांचा)

**अध्यक्ष**

**प्रबंध संचालक**

| मुख्यालय | क्षेत्रीय कार्यालय | जिला कार्यालय | प्रक्षेत्र | उत्पादन इकाईयां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 50 | 01 | 2 |

## मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

5. निगम अमला

| क. | पदनाम | वेतनमान | स्वीकृत पदों की संख्या | भरे पदो की संख्या | रिक्त पदो की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **प्रथम श्रेणी** | 15600 से 34400 तक | **56** | **19** | **37** |
| 2 | **द्वितीय श्रेणी** | 15600–39100+5400 | **72** | **13** | **59** |
| 3 | **तृतीय श्रेणी** | 5200 से 9300 तक | 528 | 197 | 332 |
| 4 | **चतुर्थ श्रेणी** | 4440 से 5200 तक | **180** | **95** | **85** |
| 5 | **दैनिक वेतनभोगी व संविदा कर्मचारी** | | — | **123** | — |
| | | महायोग | **836** | **446** | **513** |

टीपः— तृतीय श्रेणी के 94 एवं चतुर्थ श्रेणी के 21 पद डाईग केडर के है अर्थात सेवा निवृत्ति के पष्चात पदों को भरा नहीं जावेगा ।

1. 1986 जीवाणु खाद संयंत्र इंद्रपुरी भोपाल मे स्थापित किया गया था । कल्चर का उत्पादन व वितरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है विगत 8 वर्षो की प्रगति निम्नानुसार है –

| वर्ष | उत्पादित पैकेट | वितरित पैकेट |
|---|---|---|
| 2011–2012 | 30,95,212 | 30,40,700 |
| 2012–2013 | 33,97,615 | 33,80,800 |
| 2013–2014 | 32,92,124 | 32,65,375 |
| 2014–2015 | 17,49,454 | 17,61,020 |
| 2015–16 | 18,41,603 | 18,16,889 |
| 2016–17 | 13,05,166 | 13,49,754 |
| 2017–18 | 6,84,837 | 7,11,644 |
| 2018–19 | 652504 | 621141 |
| 2019–20 | 659883 | 601626 |

2. वर्ष 1995–96 बाडी जिला रायसेन में 400 मी.टन पोषण आहार प्रतिमाह उत्पादन क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया था । जिसमें वर्ष 2010 में नवीनीकरण कर उत्पादन क्षमता 400 मी.टन प्रतिमाह से बढाकर 1000 मी.टन प्रतिमाह की गयी है । उक्त संयंत्र मे हलुवा,सोया बर्फी, एवं आटाबेसन लड्डू प्री मिक्स का उत्पादन किया जा रहा है । साथ ही पोषण आहार का प्रदाय तीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भी किया जा रहा है । विगत आठ वर्ष की जानकारी निम्नानुसार है:–

| **वर्ष** | **बाडी संयंत्र से प्रदाय पोषण आहार वितरण (मी.टन)** | **संयुक्त उपकम के माध्यम से प्रदाय पोषण आहार वितरण (मी.टन)** |
|---|---|---|
| 2011–2012 | 12693.408 | 1,80,668.503 |
| 2012–2013 | 16564.339 | 1,84,581.997 |
| 2013–2014 | 18436.920 | 1,71,882.509 |
| 2014–2015 | 19396.001 | 1,87,071.774 |
| 2015–2016 | 20280.600 | 1,85,423.369 |
| 2016–2017 | 20807.700 | 18,84,15.405 |
| 2017–2018 | 16230.882 | 142656.206 |
| 2018–2019 | 13167.569 | – |
| 2019–2020 | 14317.938 | – |

3. निगम द्वारा शासन की अनुमति से वर्ष 1994—95 से उर्वरक वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। निगम व्दारा रासायनिक उर्वरक का विक्रय कृषको को विक्रय केन्द्रो के माध्यम से किया जा रहा है । विगत आठ वर्षो में रासायनिक उर्वरक का वितरण निम्नानुसार है :—

| **वर्ष** | **वितरण (विक्रय) मी.टन** |
|---|---|
| 2011—2012 | 36,876.25 |
| 2012—2013 | 44,985.79 |
| 2013—2014 | 57,743.15 |
| 2014—2015 | 42,171.75 |
| 2015—2016 | 56,185.57 |
| 2016—2017 | 54,417.25 |
| 2017—2018 | 39007.45 |
| 2018—19 | 34639.19 |
| 2019—20 | 39991.24 |

## वार्षिकी लेखे

4. वर्ष 2016—17 के लेखो को विधान सभा के पटल पर दिनांक 11.07.19 को रखा गया है । वर्ष 2017—18 के लेखे आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखे जावेंगे।

5. निगम द्वारा प्रदेश में बायोगैस संयंत्रो की स्थापना का कार्य किया जा रहा है वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :—

| वर्ष | लक्ष्य | निर्मित बायोगैस संयंत्रों की सख्या |
|---|---|---|
| 2010—2011 | 12,000 | 12,071 |
| 2011—2012 | 12,000 | 10,736 |
| 2012—2013 | 12,000 | 10,891 |
| 2013—2014 | 10,,000 | 8,679 |
| 2014—2015 | 10,,000 | 7,509 |
| 2015—2016 | 10,000 | 6,846 |
| 2016—2017 | 8,000 | 5,296 |
| 2017—2018 | 8,500 | 5230 |
| 2018—19 | 6000 | 1905 |
| 2019—20 | 5800 | 2352 |

6. निगम द्वारा बैलचलित एवं हस्तचलित कृषि उपकरणों का विक्रय किया जा रहा है । वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है

| वर्ष | निगम द्वारा विक्रित यंत्रों की संख्या |
|---|---|
| 2011–2012 | 50,347 |
| 2012–2013 | 1,28,721 |
| 2013–2014 | 1,21,014 |
| 2014–2015 | 1,00,235 |
| 2015–2016 | 1,71,195 |
| 2016–2017 | 1,97,487 |
| 2017–18 | 246289 |
| 2018–19 | 155347 |
| 2019–20 | 86151 |

7. निगम द्वारा अनुदान पर ट्रेक्टर विक्रय किये जा रहे है। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

| **वर्ष** | **निगम द्वारा विक्रित ट्रेक्टर की संख्या** |
|---|---|
| 2011–2012 | 45 |
| 2012–2013 | 94 |
| 2013–2014 | 09 |
| 2014–2015 | 26 |
| 2015–2016 | 103 |
| 2016–2017 | 81 |
| 2017–2018 | 07 |
| 2018–19 | 07 |
| 2019–20 | – |

8. निगम द्वारा ट्रेक्टर एवं शक्तिचलित कृषि यंत्रों का वितरण अनेक वर्षो से किया जा रहा है –

| वर्ष | षक्ति चलित यंत्र | रोटावेटर | पावर टिलर | थ्रेषर |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | 2912 | 506 | 116 | 196 |
| 2012–2013 | 2033 | 303 | 64 | 31 |
| 2013–2014 | 7678 | 1304 | 209 | 145 |
| 2014–2015 | 3230 | 1175 | 185 | 312 |
| 2015–2016 | 1892 | 1072 | 268 | 318 |
| 2016–2017 | 2256 | 1138 | 472 | 278 |
| 2017–2018 | 195 | 00 | 10 | 4 |
| 2018–19 | 219 | 03 | – | – |
| 2019–20 | – | – | – | – |

9. **निगम के लाभ की विगत आठ वर्षो की जानकारी**

| कमांक | वर्ष | लक्ष्य (करोड में) | व्यवसाय (लाख में) | लाभ (लाख में) कर उपरांत | संचित लाभ (लाख में ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019–20 | 500.00 | 494.74 | 856.63 | 20951.63 |
| 1 | 2018–2019 | 500.00 | 382.60 | 1666.27 | 20095.00 अनुमानित |
| 2 | 2017–2018 | 1083.57 | 985.54 | 2082.82 | 18846.05 |
| 3 | 2016–2017 | 1568.74 | 148301 | 3353.33 | 17288.98 |
| 4 | 2015–2016 | 1559.00 | 13259.92 | 3912.42 | 16507.84 |
| 5 | 2014–2015 | 1295.96 | 125962 | 3233.68 | 12595.042 |
| 6 | 2013–2014 | 1362.50 | 139852 | 3684.76 | 9361.74 |
| 7 | 2012–2013 | 1381.00 | 133208 | 2340.46 | 5676.98 |
| 8 | 2011–2012 | 93780 | 134806 | 3059.71 | 3342.33 |

## यॉत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई

**मूलभूत जानकारी** :–

1. स्थापना –1971–72
2. उद्देश्य – बहूमुखी खेती का प्रर्दशन,उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण, उन्नत बीजों का प्रदाय निगम के मूल उद्देश्यों के अनुकूल कार्यकलापो का विस्तार ।
3. **प्रक्षेत्र में पदस्थ अमला** : नियमित अधिकारी / कर्मचारी – 14
   स्थायी कर्मी – 08
   कंटींजेन्सी कर्मचारी एवं संविदा – 03
4. **प्रक्षेत्र पर उपलब्ध फार्म मशीनरी / संसाधन**
   ट्रैक्टर एचएमटी–5911–4, 2522–1, 2011–1, ट्रैक्टर जे.डी. 5310–2, ट्राली 4 व्हील–5, ट्राली 2 व्हील–2, टैंकर 4व्हील–1, सीड ड्रिल –4, डिस्क हेरो–8, कल्टीवेटर–8, बंडफारमर–1, सीड ग्रडिंग प्लांट–1, स्ट्रारीपर–1, पावरस्प्रेयर–3, एरोब्लास्ट स्पेयर–1, रोटावेटर–2, स्क्रेपर–3, ट्यूबवेल–8'' बोर–40, स्प्रिंकलर सेट–47, ट्री पूनर–1, महिन्द्रा जीप–1,रीपर–1, रोटावेटर नये–3,
5. **भूमि का विवरण** :– प्रक्षेत्र का कुल रकवा 1572.55 एकड । प्रशासनिक दृष्टि से प्रक्षेत्र तीन इकाईयो में विभक्त है इकाईवार रकवा निम्ननानुसार हैः–

| इकाई कमांक | एक | दो | तीन | योग |
|---|---|---|---|---|
| रकवा (एकड में) | 480.62 | 551.07 | 540.86 | 1572.55 |

<u>उपयोग की जानकारी</u>

(एकड में)

| | |
|---|---|
| 1. असिंचित भूमि | 429.00 |
| 2. कृषि(रबी, खरीफ) क्षेत्र रकबा | 507.05 |
| 3. अविकसित भूमि का क्षेत्र | 30.40 |
| 4. बगीचों का क्षेत्रफल | 440.84 |
| 4. नहर क्षेत्र | 26.30 |
| 5. मॉडल नर्सरी का क्षेत्र | 10.00 |
| 6. नीलगिरी क्षेत्र | 10.00 |
| 7. शासन द्वारा अधिगृहित भूमि (नागरिक आपूति निगम /भण्डार गृह निगम को उपलब्ध करायी गयी **(61 एकड भूमि वापस प्राप्त)** | 30.00 |
| रोड एवं बिल्डिंग का क्षेत्र | 86.51 |
| मन्दिर का क्षेत्र | 1.25 |
| **योग** | **1572.55** |

## वर्ष 2013–14 से 2018–19 तक उपलब्धियों का विवरण–

(रू. लाख में)

| क | विवरण | वर्ष 2014–15 की उपलब्धियॉ | वर्ष 2015–16 की उपलब्धियां | वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां | वर्ष 2017–18 की उपलब्धियां | वर्ष 2018–19 की उपलब्धियां | वर्ष 2019–2020 की उपलब्धियॉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विपणन– ट्रेक्टर,, ट्रेक्टर ड्रान उपकरण, पावर टिलर, पंपसेट, स्प्रिकलर,ड्रिप इरिगेशन टूलकिट,बैटरी, टायर–टयूब,पौध संरक्षण यंत्र थ्रेशर | 25288.94 | 22306.49 | 21685.49 | 8287.33 | 2058.71 | 12992.87 |
| 2 | आर.टी.ई. बाडी एवं संयुक्त उपक्रम के माध्यम से | 77237.83 | 82950.83 | 94281.87 | 73888.18 | 8401.61 | 8461.89 |
| 3 | जीवाणु/आर्गेनिक खाद | 268.93 | 346.65 | 513.73 | 1670.50 | 1251.36 | 778.17 |
| 4 | बायोगैस एसेसरीज | 100.82 | 98.28 | 64.31 | 55.53 | 27.14 | 12.53 |
| 5 | बैल चलित कृषि उपकरण | 3723.30 | 5740.42 | 8838.08 | 5763.02 | 1494.34 | 1814.43 |
| 6 | अन्य कार्यक्रम– टेलर टेंकर, व अन्य इंजिनियरिंग कार्य | 1281.42 | 1669.10 | 468.32 | 4901.46 | 12765.67 | 1561.84 |
| 7 | विविध | 13414.64 | 7775.71 | 6419.12 | 3495.49 | 7360.02 | 17590.82 |
| 8 | रासायनिक खाद/पेस्टीसाइड | 4646.93 | 20841.04 | 16030.11 | 5051.16 | 4902.03 | 6261.52 |
| | **कुल व्यवसाय** | **125962.81** | **141728.52** | **148301.08** | **103112.67** | **38260.88** | **49474.07** |

# भाग–9

**परिशिष्ट–1**

## एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के अन्तर्गत लागत मापदण्ड तथा अनुदान का विवरणः–

| क्र | मद | लागत मानदण्ड | सहायता का प्रतिमान |
|---|---|---|---|
| ए | अनुसंधान | रूपये 100.00 लाख परियोजना | आई.सी.ए.आर., सी.एस.आई.आर., एस.एयू. के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के संस्थान, राष्ट्रीय स्तर की सरकारी एजेंसियां और अन्य स्थान विषेष के संस्थान आवष्यकता के मुताबिक निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्यो की शुरूआत –<br>**I.** रोपण सामग्री के आयात समेत बीज एवं रोपण सामग्री<br>**II.** तकनीकी मानकीकरण एवं<br>**III.** तकनीकी अधिग्रहण और<br>**IV.** 100 फीसदी मदद के साथ परियोजना के मुताबिक प्रषिक्षण एवं एफएल डी। |
| बी–1 | | | |
| **रोपण आधारभूत संरचना विकास रोपणी सामग्री का उत्पादन** | | | |
| पद्ध | उच्च तकनीक बागान (4 हेक्टर) | रूपये 25.00 लाख / हेक्टर | आनुपातिक आधार पर परियोजना से जुड़ी गतिविधियो के लिये अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र के लिये सार्वजनिक क्षेत्र को 100 : जो कि 100 लाख रूपये प्रति इकाई तक सीमित होगी और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैंक एंडेड सब्सिडी लागत की 40 फीसदी जो कि अधिकतम 40 रूपये प्रति इकाई तक सीमित होगी। प्रत्येक बागान प्रतिवर्ष एक हेक्टर में न्यूनतम 50 हजार गुणवत्ता वाले बारहमासी फल / पौधे / रोपण लायक पौधों का उत्पादन। |
| पपद्ध | छोटे बागान (एक हेक्टर) | रूपये 15.00 लाख / हेक्टर | आनुपातिक आधार पर परियोजना से जुड़ी गतिविधियों के लिये अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र के लिये सार्वजनिक क्षेत्र को 100 : और निजी क्षेत्र को लागत के आधार पर ऋण संबद्ध बैंक एंडेड सब्सिडी जो कि अधिकतम 7.50 लाख तक होगी। प्रत्येक बागान प्रतिवर्ष एक हेक्टर में न्यूनतम 25 हजार गुणवत्ता वाले बारहमासी फल / पौधे / रोपण लायक पौधों का उत्पादन। |
| पपपद्ध | प्रमाणिक प्रतिमानों के अनुरूप बागान के आधारभूत संरचना को उन्नत बनाना | रूपये 10.00 लाख / 4 हेक्टर | सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिषत और निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिषत लेकिन अधिकतम 5.00 लाख प्रति बागान। आधारभूत संरचना में विसंक्रमण, कार्यषाला शेड (रसदार फलों एवं सेब के लिये), जीवाणु सूचकांक सुविधा, कठोरीकरण कक्ष / जालीदार घर, अंधेरी कोठरी पौध शाला की स्थापना, सिंचाई एवं निषेचन सुविधा प्रति इकाई। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| पअद्ध | विद्यमान ऊतक संवर्धन (टीसी) इकाइयों सुदृढ़ीकरण | रूपये 20.00 लाख/इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिषत और निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिषत ऋण संबद्ध बैंक एंडेड सहायता। |
| अद्ध | नए ऊतक संवर्धन (टीसी) इकाई की स्थापना | रूपये 250.00 लाख/इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिषत और निजी क्षेत्र को लागत के आधार पर 40 प्रतिषत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सहायता। प्रत्येक ऊतक संवर्धन इकाई को प्रतिवर्ष अधिदेषित फसल की न्यूनतम 25 लाख पौधे तैयार करने होगें जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो सके। |
| अपद्ध | **मसाले और सब्जियों का उत्पादन** | | |
| ए | अनावृत पराग सिंचित फसल | रूपये 35000. 00 हेक्टर | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिषत निजी क्षेत्र के लिये मैदानी इलाके में 35 प्रतिषत। |
| बी) | संकर (हाईब्रिड) बीज | रूपये 1.50 लाख/हेक्टर | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिषत, निजी क्षेत्र के लिए मैदानी इलाके में 35 प्रतिषत। |
| अपपद्ध | रोपण सामग्री का आयात | रूपये 100.00 लाख | परियोजना पर आधारित कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लागत का 100 फीसदी। |
| अपपपद्ध | बीज आधारभूत सरंचना( बागान फसलों के संवर्धन के लिए बीज सामग्री के तौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले बीजों के रखरखाव, प्रसंस्करण पैकिंग और भण्डारण इत्यादि के लिये) | रूपये 200.00 लाख | सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिषत निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिषत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सहायता के रूप में। |
| बी–2 | नए बागानों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर हेतु) | | |
| पण | फल | | |
| ए | लागत प्रधान फसलें | | |
| पण | अंगूर, कीवी पैषन फ्रूट इत्यादि | | |
| ए | टपक सिंचाई और जाल समेत समेकित पैकेज | रूपये 4.00 लाख/ हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम और जाल लगाने टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद मे व्यय धनराषि को पूरा करने के लिये अधिकतम 1.60 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) यह मदद फसलों के दूसरे साल में 75 प्रतिषत और तीसरे साल में 90 प्रतिषत बचे रहने की स्थिति में तीन किष्तों में **60रू20रू20** के आधार पर। |
| बी) | गैर समेकित | रूपये 1.25 लाख/ हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम और जाल लगाने, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय धनराषि को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत), मदद फसलों के दूसरे साल में 75 प्रतिषत और तीसरे साल में 90 प्रतिषत बचे रहने की स्थिति में तीन किष्तों 60रू20रू20 के आधार पर। |
| **पपद्ध** | **स्ट्राबेरी** | | |
| ए) | टपक सिंचाई और आच्छादन समेत समेकित पैकेज | रूपये 2.80 लाख/हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम और पतवार से आचछादन टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामन की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय धनराषि को पूरा करने के लिए अधिकतम 1.12 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) एक किष्त में। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| बी) | गैर समेकित | रूपये 1.25 लाख/हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम और पतवार से आच्छादान, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री की मद मे ंव्यय धनराषि को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) एक किष्त में। |
| पपपद्ध | केला (अंतर्भूस्तरी) | | |
| ए) | टपक सिंचाई के साथ समेत समेकित पैकेज | रूपये 2.00 लाख/हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.80 लाख/हेक्टर की मदद(लागत का 40.00 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तो में। |
| बी) | गैर समेकित हेक्टर | रुपये 87,500/हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.35 हजार /हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |
| पअद्ध | अनानास (अंतर्भूस्तरी) | | |
| ए) | टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रूपये 3.00 लाख/ हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 1.20 लाख /हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |
| बी) | गैर समेकित | रुपये 87,500/ हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.35 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |

| | | |
|---|---|---|
| अद्ध केला (टीसी) | | |
| ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 3.00 लाख / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 1.20 लाख / हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |
| बी) गैर समेकित | रुपये 1.25 लाख / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम सामग्री, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.50 लाख / हेक्टर की मदद (लागतका 40 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |
| अपद्ध अनानास (टीसी) | | |
| ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 5.50 लाख / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 2.20 लाख / हेक्टर की मदद (लागतका 40 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |
| बी) गैर समेकित | रुपये 1.25 लाख / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.50 लाख / हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |
| अपपद्ध पपीता | | |
| ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 2.00 लाख / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.80 लाख / हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |
| बी) गैर समेकित | रुपये 0.60 लाख / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी<br>सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.30 लाख / हेक्टर की मदद (लागत का 50 प्रतिषत) 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |
| अपपपद्ध अति उच्च घनत्व वाले पौधे (मीडो आरचर्ड) | | |
| ए) झरना सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 2.00 लाख / हेक्टर | छतरी प्रबंधन एवं आईएनएम / आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0. 80 लाख / हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत) 60:20:20 के अनुपात में तीन किष्तों में। यह मदद दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिषत और तीसरे साल में 90 |

| | | |
|---|---|---|
| बी) गैर समेकित | रुपये 1.25 लाख / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.50 लाख / हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत)। |
| पगद्ध उच्च घनत्व वाले पौधे (आम, अमरूद, लीची, अनार, सेब, नीबू इत्यादि) | | |
| ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 1.50 लाख / हेक्टर | छतरी प्रबंधन एवं आईएनएम / आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.60 लाख / हेक्टर की मदद(लागत का 40 प्रतिषत) 60:20:20 के अनुपात में तीन किष्तों में। यह मदद दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिषत और तीसरे साल में 90 प्रतिषत बने रहने के आधार पर। |
| बी) गैर समेकित | रुपये 1.00 लाख / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.40 लाख / हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत)। |
| **बी)** लागत प्रधान फसलों के अतिरिक्त फल फसलें | | |
| i) सामान्य दूरी पर लगाए जाने वाले लागत | | |
| प्रधान फसलों के अतिरिक्त फल फसलें | | |
| ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज | रुपये 1.00 लाख / हेक्टर | छतरी प्रबंधन एवं आईएनएम / आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.40 लाख / हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिषत)। दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिषत और तीसरे साल में 90 प्रतिषत बने रहने की स्थिति में बारहमासी फलों के लिए यह मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किष्तों में और गैर बारहमासी फलों के लिए यह मदद 75:25 के अनुपात में दो किष्तों में। |
| बी)गैर समेकित | रुपये 0.60 लाख / हेक्टर | सभी राज्यों में तीन किष्तों में आईएनएम / आईपीएम सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.30 लाख / हेक्टर की मदद (लागत का 50 प्रतिषत) दी जाएगी। |
| ïïï **सब्जी (प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टर क्षेत्र हेतु)** | | |
| पद्ध संकर (हाईब्रिड) | रुपये 50,000 / हेक्टर | सामान्य क्षेत्र में लागत का 40 प्रतिषत और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिषत की दर से मदद। |

| | | |
|---|---|---|
| ɯɯɯ **मशरूम** | | |
| पद्ध उत्पादन इकाई | रुपये 20 लाख/ इकाई | आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिषत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिषत की मदद। |
| पपद्ध कवक निर्माण इकाई | रुपये 15 लाख/ इकाई | आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिषत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिषत की मदद। |
| पपपद्ध खाद निर्माण इकाई | रुपये 20 लाख/ इकाई | आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिषत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिषत की मदद। |
| प्टण **फूल (प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टर क्षेत्र हेतु)** | | |
| पद्ध कटे फूल | रुपये 1.00 लाख/ हेक्टर | सामान्य क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिषत और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिषत की मदद। |
| पपद्ध कंदीय फूल | रुपये 1.50 लाख/ हेक्टर | सामान्य क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिषत और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिषत की मदद। |
| पपपद्ध खुले फूल | रुपये 0.40 लाख/ हेक्टर | सामान्य क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिषत और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिषत की मदद। |
| टण **मसाले (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र हेतु)** | | |
| पद्ध बीज मसाला और प्रकंदी मसाले | रुपये 30,000/ हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय होने वाली धनराषि के लिए अधिकतम 12000रू/हेक्टर (लागत का 40 प्रतिषत) की मदद। |
| पपद्ध बारहमासी मसाले (काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल इत्यादि) | रुपये 50,000/ हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिषत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 20,000 रुपये की मदद। |
| टपण **सुगंधित पौधे (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र हेतु)** | | |
| पद्ध लागत आधारित सुगंधित पौधे (पचौली,जिरेनियम, गुलाब) | रुपये 1.00 लाख/ हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिषत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 40,000 रुपये की मदद। |
| पपद्ध अन्य सुगंधित पौधे | रुपये 40,000.00/ हेक्टर | आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिषत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 16,000 रुपये की मदद। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| टप्प् **बागान फसलें (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र हेतु)** | | | |
| पद्ध काजू एवं कोको | | | |
| ए) टपक सिंचाई समेत समेकित पैकेज | | रुपये 1.00 लाख / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम, टपक सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिषत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 40,000 रुपये की मदद। दूसरे साल में 50 प्रतिषत और तीसरे साल में 90 प्रतिषत पौधों के बने रहने की स्थिति में यह मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किष्तों में। |
| | बी) गैर समेकित– | रुपये 50,000 / हेक्टर | आईएनएम / आईपीएम, टपक सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिषत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 20,000 रुपये की मदद। दूसरे साल में 75 प्रतिषत और तीसरे साल में 90 प्रतिषत पौधों के बने रहने की स्थिति में यह मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किष्तों में।<br>पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त प) और पप) के मद में लागत का 50 प्रतिषत की दर से तीन किष्तों में। |
| **बी–3** | **जीर्ण बागानों का पुनरुद्धारध्प्रतिस्थापन** | रुपये 40,000 / हेक्टर | प्रति लाभार्थी दो हेक्येटर क्षेत्र के लिए कुल लागत का 50 प्रतिषत लेकिन अधिकतम 20,000 रुपये तक की मदद। |
| **बी–4** | **जल स्रोतों का सृजन** | | |
| | पद्ध प्लास्टिक / कंकरीट के इस्तेमाल से सामुदायिक टंकी / खेतों में तालाब / जलाषय का सृजन | मैदानी क्षेत्रों के लिए 20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25 लाख / इकाई | सामुदायिक / किसान समूह के मालिकाना हक वाले या संचालित किए जाने वाले 10 हेक्टर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता वाले 100ग100ग03 मीटर के तालाब या सिंचित क्षमता के अनुपात में इससे छोटे तालाबों के निर्माण के लिए लागत का 100 फीसदी की मदद। ऐसे तालाब का निर्माण कम से कम 500 माइक्रोन के प्लास्टिक की झिल्ली या कंकरीट का इस्तेमाल।<br>बिना किसी निर्धारित आकार वाले तालाब (काली कपास मृदा क्षेत्र हेतु) के लिए 30 प्रतिषत कम मदद दी जाएगी, जो प्लास्टिक या कंकरीट की दीवार के लिए ही होगी। परंतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को तालाब या जलाषय के निर्माण पर आने वाली पूरी लागत मदद के रूप में। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पपद्ध व्यक्तिगत हेतु जल संचयन प्रणाली– (20ग20ग03 मीटर क्षेत्रफल वाले तालाब/नलकूप/कुएं हेतु 125 रुपये/घनमीटर की दर से) | मैदानी क्षेत्रों में रुपये 1.50 /इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.80 लाख/इकाई। | 300 माइक्रोन की प्लास्टिक/कंकरीट की लाइनिंग समेत लागत का 50 प्रतिषत। गैर लाइनिंग तालाब/टंकी (काली कपास मृदा क्षेत्र हेतु) के लिए सहायता राषि 30 प्रतिषत कम होगी। छोटे आकार वाले तालाब/नलकूपों के लिए उनके सिंचित क्षमता के अनुपात में सहायता राषि होगी। इसका रखरखाव लाभार्थियों द्वारा ही सुनिष्चित किया जाएगा। |
| **बी–5** | **संरक्षित खेती** | | |
| | 1.ग्रीन हाउस ढांचा | | |

| | | |
|---|---|---|
| ए) पंखा एवं पैड प्रणाली | मैदानी क्षेत्रों के लिए 1650 रुपये/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए), 1465 रुपये/वर्ग मीटर (500 से अधिक से 1008 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए ),1420 रुपये/वर्ग मीटर (1008 वर्ग मीटर से अधिक से 2080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए), 1400 रुपये/ वर्ग मीटर (2080 वर्ग मीटर से अधिक और 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए)। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपरोक्त सभी दर 15 प्रतिषत अधिक होंगे। | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिषत। |
| बी) प्राकृतिक वातायन प्रणाली पद्ध नलाकार ढांचा | 1060 रुपये/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए), 935 रुपये/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर से अधिक और 1008 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक), 890 रुपये /वर्ग मीटर (1008 वर्ग मीटर से 2080 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के लिए), 844 रुपये/वर्ग मीटर (2080 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए)। पहाड़ी क्षेत्रों में उपरोक्त दर 15 प्रतिषत अधिक होगा। | प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए लागत का 50 प्रतिषत |
| पपद्ध लकड़ी का ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 540 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 621 रुपये/वर्ग मीटर। | अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिषत प्रत्येक लाभार्थी (हर एक इकाई 200 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए) |
| पपपद्ध बांस का ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 450 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 518 रुपये/वर्ग मीटर | अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिषत प्रत्येक लाभार्थी (हर एक इकाई 200 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए) |
| 2. छायादार जाली गृह | | |
| ए) नलाकार ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 710 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 816 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक सीमित ढांचे के लिए लागत का 50 प्रतिषत। |

| | | |
|---|---|---|
| बी) लकड़ी का ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 492 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 566 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिषत (एक इकाई अधिकतम 200 वर्ग मीटर) |
| सी) बांस का ढांचा | मैदानी क्षेत्रों के लिए 360 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 414 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिषत (एक इकाई अधिकतम 200 वर्ग मीटर) |
| 3. प्लास्टिक की सुरंग | मैदानी क्षेत्रों के लिए 60 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 1000 वर्ग मीटर तक सीमित ढांचे के लिए लागत का 50 प्रतिषत। |
| 4. बड़ी सुरंग (वॉक इन टनल) | 600 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 5 इकाई तक सीमित ढांचे के लिए लागत का 50 प्रतिषत (प्रत्येक इकाई 800 वर्ग मीटर से अधिक की नहीं होनी चाहिए) |
| 5. पक्षी रोधी / वृष्टि रोधी जाली | 35 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 5000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिषत |
| 6. पॉली गृह में उगाई गई उच्च कोटि की सब्जियों की खेती और रोपण सामग्री की लागत | 140 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिषत |
| 7. पॉली गृह/छायादार जाली गृह के तहत ऑर्किड /एंथूरियम की खेती व रोपण सामग्री की लागत | 700 रुपये/वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिषत |
| 8. पॉली गृह/छायादार जाली गृह के तहत कॉर्नेषन एवं जरबेरा की खेती और रोपण सामग्री की लागत | 610 रुपय/ वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिषत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 9. पॉली गृह / छायादार जाली गृह के तहत गुलाब और लिली की खेती और रोपण सामग्री की | 426 रुपये / वर्ग मीटर | प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिषत |
| | 10. प्लास्टिक की पलवार (मल्चिंग) | मैदानी क्षेत्रों के लिए 32,000 रुपये / हेक. और मैदानी क्षेत्रों के लिए 36,800 रुपये / हेक्टर | प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 2 वर्ग हेक्टर तक के लिए लागत का 50 प्रतिषत |
| **बी–6** | **सुनिश्चित कृषि विकास केंद्रों (पीएफडीसी) के जरिए सुनिश्चित कृषि विकास एवं विस्तार** | परियोजना के आधार पर | पीएफडीसी की लागत का 100 प्रतिषत |
| **बी–7** | **समेकित पोषण प्रबंधन (आईएनएम) / समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) का संवर्धन** | | |
| | पद्ध आईएनएम / आईपीएम का संवर्धन | 4000 रुपये / हेक्टर | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4.00 हेक्टर क्षेत्र के लिए लागत का 30 प्रतिषत, लेकिन अधिकतम 1200 रुपये / हेक्टर |
| | पपद्ध रोग पूर्वानुमान इकाई (पीएसयू) | 6.00 लाख रुपये / इकाई | लागत का 100 फीसदी |
| | पपपद्ध जैव नियंत्रण प्रयोगषाला | 90.00 लाख रुपये / इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 फीसदी और निजी क्षेत्र के लिए 50 फीसदी। |
| | पअद्ध पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक | 25.00 लाख रुपये / इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 फीसदी और निजी क्षेत्र के लिए 50 फीसदी। |
| | अद्ध पत्ती / टिशू विष्लेषण प्रयोगषाला | 25.00 लाख रुपये / इकाई | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 फीसदी और निजी क्षेत्र के लिए 50 फीसदी। |
| **बी–8** | **जैविक खेती** | | |
| | पद्ध जैविक खेती को अपनाना | 20,000 रुपये / हेक्टर | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिषत, जो 10,000 रुपये / हेक्टर से ज्यादा नहीं होगा। यह सहायता धनराषि तीन वर्षों में क्रमषः पहले वर्ष 4000 रुपये, दूसरे और तीसरे वर्ष 3000 रुपये के रूप में दी जाएगी। यह कार्यक्रम प्रमाणीकरण से संबद्ध होगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पपद्ध जैविक प्रमाणीकरण | परियोजना आधारित | 50 हेक्टर क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये। यह धनराषि पहले वर्ष में 1.50 लाख,दूसरे वर्षमें 1.50 लाख और तीसरे वर्ष में 2.00 लाख रुपये के रूप में दी जाएगी। |
| | पपपद्ध वर्मी खाद इकाई/जैविक आदान उत्पादन | स्थायी ढांचे हेतु 100,000 रुपये/ इकाई और एचडीपीई वर्मीबेड के लिए 16,000 रुपये/इकाई | स्थायी ढांचे के लिए 30ग8 ग2.5 फीट आयाम की इकाई के निर्माण के अनुपात में लागत का 50 प्रतिषत। एचडीपीई वर्मीबेड के लिए 96 घन फीट (12ग4ग2) इकाई और आईएस 15907 रू 2010 के अनुपात में लागत का 50 प्रतिषत। |
| **बी–9** | **ढांचा समेत बेहतर कृ षि कार्यों (जीएपी) का** | 10,000/हेक्टर | प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिषत |
| **बी–10** | **बागवानी दक्षता केंद्र** | 1000.00 लाख /केंद्र | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिषत। ऐसे केंद्र द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर स्थापित किए जाएंगे। |
| **बी–11** | **मधुमक्खी पालन के द्वारा परागण का बढ़ाना** | | |
| | पद्ध न्यूक्लियस स्टाक का उत्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र | 20.00 लाख | लागत का 100 प्रतिषत |
| | पपद्ध मधुमक्खी प्रजनक द्वारा मधुमक्खी छत्ते का निर्माण | 10.00 लाख | प्रतिवर्ष कम से कम 2000 छत्तों के निर्माण के लिए लागत का 40 प्रतिषत |
| | पपपद्ध मधुमक्खी के छत्ते | 8 फ्रेम वाले प्रति छत्ता 2000 रूपये | प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 छत्ते के लिए लागत का 40 प्रतिषत |
| | पअद्ध मधुमक्खी–पेटिका | 2000 रुपये/ पेटिका | प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 छत्ते के लिए लागत का 40 प्रतिषत |
| | अद्ध शहद निकालने वाले (4 फ्रेम) फूड ग्रेड कंटेनर (30 | 20,000 रुपये/सेट | प्रति लाभार्थी एक सेट के लिए लागत का 40 प्रतिषत। |
| **बी–12** | **बागवानी यंत्रीकरण** | | |
| | पद्ध ट्रैक्टर (20 पीटीओ हॉर्स पॉवर) | 3.00 लाख/ इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिषत लेकिन अधिकतम 75000 रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 35 प्रतिषत लेकिन अधिकतम 1.00 लाख रुपये/ इकाई। |
| | पपद्ध पावर टिलर | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ए) पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) | 1.00 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 40000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति,छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये / इकाई। |
| | बी) पावर टिलर (8 बीएचपी और उससे अधिक) | 1.50 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 60,000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 75,000 रुपये / इकाई। |
| | पपपद्ध ट्रैक्टर / पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) / उपकरण | | |
| | ए) भूमि विकास, जुताई और रोपाई करने वाले उपकरण | 0.30 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 12,000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 15,000 रुपये / इकाई। |
| बी) | बुआई, रोपाई और खुदाई के उपकरण | 0.30 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 12,000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 15,000 रुपये / इकाई। |
| | सी) प्लास्टिक मल्च लगाने वाला उपकरण | 0.70 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 28,000 रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 35,000 रुपये / इकाई। |
| | पअद्ध स्वचालित बागवानी यंत्र | 2.50 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 1.00 लाख रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 1.25 लाख रुपये / इकाई। |
| | अद्ध पौध संरक्षण उपकरण | | |
| | ए) हस्तचालित स्प्रेयरः | | |
| | पद्ध नेपसैक / पांव से चलाए जाने वाला स्प्रेयर | 0.012 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.005 लाख रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.006 लाख रुपये / इकाई। |
| | बी) यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर / विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 8—12 लीटर) | 0.062 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.025 लाख रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.031 लाख रुपये / इकाई। |
| | सी) यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर / विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 12—16 लीटर) | 0.076 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.03 लाख रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.038 लाख रुपये / इकाई। |
| | डी) यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर / विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक) | 0.20 लाख / इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.08 लाख रुपये / इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.10 लाख रुपये / इकाई। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ई) ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर (20 बीएचपी से कम) विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर | 0.20 लाख /इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.08 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.10 लाख रुपये/इकाई। |
| | एफ) ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक) विद्युत इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर | 1.26 लाख /इकाई | लागत का 40 प्रतिषत, सामान्य वर्ग के किसानों के लिए यह अधिकतम 0.50 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिषत, 0.63 लाख रुपये/इकाई। |
| | जी) इको– फ्रैंडली लाइट ट्रैप (35 बीएचपी से अधिक) | 0.028 लाख /इकाई | सामान्य वर्ग के किसानों के लिए यह अधिकतम रुपये 0.012 लाख/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिषत, 0.014 लाख रुपये/इकाई। |
| | अप) प्रदर्षनी के लिए बागवानी के नए यंत्रों एवं उपकरणों का आयात (सार्वजनिक क्षेत्र) | 50.00 लाख /इकाई | कुल लागत का 100 प्रतिषत |
| **बी–13** | **प्रदर्शन/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के जरिए तकनीक का प्रचार–प्रसार** | 25.00 लाख | किसानों के खेतों के लिए लागत का 75 प्रतिषत और सार्वजनिक क्षेत्र, एसएयू इत्यादि के फॉर्म के लिए लागत का 100 प्रतिषत। |
| **बी–14** | **मानव संसाधन विकास (एचआरडी)** | | |
| | पद्ध पर्यवेक्षकों एवं उद्यमियों के लिए एचआरडी | 20 लाख/इकाई | साल लागत का 100 प्रतिषत। आगे के वर्षों में आधारभूत ढांचे पर आने वाली लागत के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा। |
| | पपद्ध मालियों के लिए एचआरडी | 15 लाख / इकाई | लागत का 100 प्रतिषत |
| | पपपद्ध किसानों को प्रषिक्षण | | |
| | ए) राज्य के अंतर्गत | आने जाने के खर्च को मिलकर 1000 रुपये/ किसान प्रतिदिन | लागत का 100 प्रतिषत |
| | बी) राज्य के बाहर | परियोजना आधारित वास्तविक खर्च | लागत का 100 प्रतिषत |
| | पअद्ध किसानों का प्रभावन दौरा | | |
| | ए) राज्य के बाहर | परियोजना आधारित वास्तविक खर्च | लागत का 100 प्रतिषत |
| | बी) भारत के बाहर | 4 लाख /सहभागी | परियोजना आधारित। हवाई/रेल यात्रा का 100 प्रतिषत। कोर्स के लिए लगने वाला शुल्क मिषन प्रबंधन द्वारा वहन किया जाएगा। |
| | अद्ध तकनीकी कर्मचारी/क्षेत्र पदाधिकारियों का | | |
| | प्रशिक्षण/अध्ययन यात्रा | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ए) राज्य के अंतर्गत | रोजाना 300 रुपये/ भागीदार तथा टीए/ डीए जो भी अनुमन्य हो। | लागत का 100 प्रतिषत |
| | बी) प्रगतिषील राज्यों/इकाइयों का अध्ययन दौरा | रोजाना 800 रुपये/ भागीदार तथा टीए/ डीए जो भी अनुमन्य हो। | लागत का 100 प्रतिषत |
| | सी) भारत के बाहर | 6.00 लाख रुपये/ सहभागी | हवाई/रेल यात्रा का 100 प्रतिषत। कोर्स के लिए लगने वाला शुल्क मिषन प्रबंधन द्वारा वहन किया जाएगा। |
| **सी** | **फसलोपरांत समेकित प्रबंधन** | | |
| सी–1 | भंडार घर | 9 मीटर ग 6 मीटर आकार वाले प्रत्येक इकाई के लिए 4.00 लाख रुपये। | पूंजीगत लागत का 50 प्रतिषत |
| सी–2 | वाहकपट्टा, छटाई, क्रमस्थापन इकाई, धुलाई, सुखाई और तुलाई की सुविधाओं से युक्त समेकित भंडारगृह | 9 मीटर ग 18 मीटर आकार के भंडार घर के लिए 50.00 लाख/इकाई | सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और निजी उद्यमियों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |
| सी–3 | पूर्व शीतलन इकाई | 6 टन क्षमता वाले इकाई के लिए 25.00 लाख रूपये/ इकाई | सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |
| सी–4 | शीत घर (स्टेजिंग) | 30 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए 15.00 रुपये/ इकाई | सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 50 प्रतिषत। |
| सी–5 | चलित पूर्व शीतलन इकाई | 25.00 लाख रुपये | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |
| सी–6 | कोल्ड स्टोरेज (निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण) | | |
| | पद्ध कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 1– एकल तापमान क्षेत्र वाले 250 टन से अधिक क्षमता वाले बड़े चैम्बर का निचला तल्ला।<br>पपद्ध कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 2– बहुतापीय एवं उत्पाद के इस्तेमाल के लिए पीईबी ढांचा, (250 टन से कम) के 6 से अधिक चैम्बरों एवं यंत्र संचालित करने वाले मूलभूत सामग्री। | 8000/टन (अधिकतम 5000 टन क्षमता)<br><br>10,000/टन (अधिकतम 5000 टन क्षमता) | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत।<br>प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पपपद्ध कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 2, वातावरण नियंत्रित करने वाली तकनीक के साथ | वातावरण नियंत्रण तकनीक उपकरणों की व्यवस्था के लिए 10,000 रुपये / टन की अतिरिक्त धनराषि। **परिशिष्ट**–पप में उपलब्ध विस्तृत जानकारी के अनुसार। | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |
| सी–7 | कोल्ड स्टोरेज चेन का तकनीकी अधिष्ठापन एवं आधुनिकीकरण | पीएलसी उपकरण, पैकेजिंग लाइन, डॉक तलेक्षक, अत्याधुनिक ग्रेडर, वैकल्पिक तकनीक, टाल प्रणाली, पृथक्करण एवं प्रषीतन का आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए अधिकतम 250. 00 लाख। विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट**–पप में | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |
| सी–8 | प्रशीतित परिवहन वाहन | 9 मीट्रिक टन (एनएचएम एवं एचएमएनईएच) क्षमता के लिए 26.00 लाख और कम क्षमता, पर 4 मीट्रिक टन से कम नहीं, के लिए उसके अनुपात में | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |
| सी–9 | प्रारंभिक / चालित / अल्प प्रसंस्करण इकाई | 25.00 लाख रुपये / इकाई | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 40 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 55 प्रतिषत। |
| सी–10 | पक्वन कक्ष | 1.00 लाख / मीट्रिक टन | प्रति लाभार्थी अधिकतम 300 एमटी के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |
| सी–11 | वाष्पणिक / निम्न ऊर्जा शीत कक्ष (8 एमटी) | 5 लाख रुपये / इकाई | कुल लागत का 50 प्रतिषत |
| सी–12 | प्रतिरक्षण इकाई | नई इकाई के लिए 2.00 लाख रुपये / इकाई और इकाई में सुधार के लिए 1.00 लाख रुपये / इकाई | कुल लागत का 50 प्रतिषत |
| सी–13 | कम लागत वाले प्याज भंडारण घर (25 मी0 टन) | 1.75 लाख रुपये / इकाई | कुल लागत का 50 प्रतिषत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सी–14 | पूसा शून्य ऊर्जा शीतन कक्ष (100 किलोग्राम) | 4000 रुपये / इकाई | कुल लागत का 50 प्रतिषत |
| सी–15 | एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली | परियोजना आधारित। अधिकतम 600.00 लाख की लागत वाली परियोजना में उपरोक्त सी1– से सी 13 के तहत अधिसूचित उपकरणों में से कम दो उपकरण का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। | प्रति लाभार्थी अधिकतम 300 मी0 टन के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |
| **डी** | **सरकारी / निजी / सहकारी क्षेत्र के बागवानी उत्पादन हेतु विपणन ढांचे की स्थापना** | | |
| डी–1 | आवधिक बाजार | 150.00 करोड़ रुपये / परियोजना | अलग से जारी संचालित दिषा निर्देषों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी नीलामी व्यवस्था के जरिए सरकारी–निजी सहभागिता की स्थिति में 25 से 40 प्रतिषत (50.00 करोड़ से अधिक नहीं) |
| डी–2 | थोक बाजार | 100.00 करोड़ रुपये / परियोजना | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 33.33 प्रतिषत। |
| डी–3 | ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / प्रत्यक्ष बाजार | 25.00 लाख रुपये | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 40 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 55 प्रतिषत। |
| डी–4 | खुदरा बाजार / दुकानें (पर्यावरण नियंत्रित) | 15.00 लाख रुपये / इकाई | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिषत। |
| डी–5 | स्थिर / चालित विक्रय ठेला / षीत कक्ष के साथ प्लेटफॉर्म | 30,000 / इकाई | कुल लागत का 50 प्रतिषत |
| डी–6 | निम्न के लिए क्रियात्मक आधारभूत ढांचा | | |
| | पद्ध संचयन / पृथक्कन / ग्रेडिंग, पैकिंग इकाई इत्यादि | 15.00 लाख रुपये / इकाई | प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 40 प्रतिषत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि,पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 55 प्रतिषत। |
| | पपद्ध गुणवत्ता नियंत्रण / विष्लेषणात्मक प्रयोगषाला | 200.00 लाख रुपये | ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी के तौर पर सार्वजनिक के लिए लागत का 100 प्रतिषत और निजी क्षेत्र के लिए 50 प्रतिषत। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| डी–7 | पहाड़ी क्षेत्रों में दाब संचालित रोप–वे | 15.00 लाख रुपये / कि.मी. | पहाड़ी क्षेत्रों में ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी के रूप में 50 प्रतिषत की दर से। |
| **इ** | **खाद्य प्रसंस्करण** | | |
| ई–1 | खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां | 800.00 लाख रुपये / इकाई | जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेष और उत्तराखंड में ऋण संबद्धबैक एंड सब्सिडी के रूप में 50 प्रतिषत की दर से पूंजीगत निवेष सहायता। |
| **एफ** | **विशेष उपाय** | | |
| एफ–1 | नवीन उपाय, जो भारत सरकार के किसी भी योजना के तहत नहीं आता हो। | लागत का 10 प्रतिषत | परियोजना के प्रस्ताव पर आधारित लागत का 50 प्रतिषत |
| एफ–2 | एसएचएम के आपात / अप्रत्याषित आवष्यकताओं से निपटना | 20.00 लाख रुपये | परियोजना के प्रस्ताव पर आधारित लागत का 50 प्रतिषत |
| **जी** | **मिशन प्रबंधन** | | |
| जी–1 | राज्य एवं जिला मिषन कार्यालय और प्रषासनिक खर्चे, परियोजना, तैयारी, कंप्यूटरीकरण, आपात इत्यादि के लिए क्रियान्वयन एजेंसियां। | राज्य बागवानी मिषन (एसएचएम) / क्रियान्यवन एजेंसियों की जरूरतों के आधार पर वार्षिक व्यय का 5 प्रतिषत | 100 प्रतिषत की सहायता |
| जी–2 | संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वाहनों को किराए पर लेना / खरीदना, हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर | परियोजना आधारित | 100 प्रतिषत की सहायता |
| जी–3 | सेमिनार कॉन्फ्रेरेंस, कार्यषाला, प्रदर्षनी, किसान मेला, बागवानी प्रदर्षनी, मधु महोत्सव इत्यादि | | |
| | ए) अंतरर्राष्ट्रीय स्तर | 7.50 लाख रुपये / आयोजन | 4 दिनों के आयोजन में व्यय का यथानुपात 100 प्रतिषत। |
| | बी) राष्ट्रीय स्तर | 5.00 लाख रुपये / आयोजन | 20 दिन के आयोजन के लिए प्रति आयोजन 100 प्रतिषत |
| | सी) राज्य स्तर | 3.00 लाख रुपये / आयोजन | 100 प्रतिषत की सहायता। दो दिनों के कार्यक्रम के लिए प्रति कार्यक्रम अधिकतम 3.00 लाख रुपये। |
| | डी) जिला स्तर | 2.00 लाख रुपये / आयोजन | 100 प्रतिषत की सहायता। दो दिनों के कार्यक्रम के लिए प्रति कार्यक्रम अधिकतम 2.00 लाख रुपये। |
| जी–4 | प्रचार, प्रकाषित सामग्री इत्यादि एवं स्थानीय विज्ञापन के जरिए सूचना का प्रसार | 40,000 रुपये / ब्लॉक | लागत का 100 प्रतिषत |
| जी–5 | तकनीकी पैकेज का इलैक्ट्रानिक रूप में विकास तथा सूचना तकनीकी द्वारा प्रसार | 1.00 लाख रुपये / जिला | लागत का 100 प्रतिषत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| जी–6 | राज्य स्तर पर विषेषज्ञों/कर्मचारियों, अध्ययन, निगरानी एवं प्रबोधन मूल्यांकन/मूल्यांकन, जन संचार, प्रचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि को लेने के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)। | परियोजना आधारित,लेकिन प्रति राज्य सालाना 50.00 लाख से अधिक नहीं। | लागत का 100 प्रतिषत |
| जी–7 | किसान उत्पादक संगठन/एफपीओ/प्रति 20 हेक्टर पर 15–20 किसानों के एफआईजी किसान अधिकार समूह, उत्पादक संगठन और वित्तीय संस्थानों एवं समुच्चयक के साथ गठबंधन का संवर्धन | एसएफएसी द्वारा जारी मानकों के अनुरूप | एसएफएसी की तरफ से समय समय पर जारी मानकों के अनुरूप |
| जी–8 | बेसलाइन सर्वेक्षण एवं बागवानी सांख्यिकीय डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण | बड़े राज्यों के लिए 100.00 लाख, छोट राज्यों के लिए 50.00 लाख और अत्यधिक छोटे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेषों के लिए 25.00 लाख। | सर्वेक्षण संबंधी कार्यों के लिए एक मुक्त सहायता के रूप में आने वाली लागत का 100 प्रतिषत। |
| I. | **राष्ट्रीय स्तर** | | |
| जी–9 | राज्य स्तर पर विषेषज्ञों/कर्मचारियों, अध्ययन, निगरानी एवं प्रबोधन मूल्यांकन/मूल्यांकन, जन संचार, प्रचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि को लेने के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)। जी3 पर आधारित | 5.00 करोड़ रुपये वार्षिक | लागत का 100 प्रतिषत |
| जी–10 | एफएओ, विष्व बैंक, एडीबी, जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तकनीकी समझौता, द्विपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय अनावरण दौर/अधिकारियों का प्रषिक्षण इत्यादि। | परियोजना आधारित वास्तविक लागत | लागत 100 प्रतिषत |
| लागत मानक से आषय सब्सिडी की गणना के लिए लागत की उच्च सीमा से है। | | | |
| नोट– | सार्वजिनक क्षेत्र की इकाइयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पजींकृत सोसाइटी/न्यासों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे संस्थानों को बैक एंडेड सब्सिडी जारी करने के लिए उसके ऋण संबंद्ध होना आवष्यक नहीं है, बषर्ते की ये एजेंसियां इस बात का भरोसा दिलाएं कि वह अपने स्रोतों से शेष धनराषि की व्यवस्था कर सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में योजना आयोग के पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं पष्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं। अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकारों एवं योजना आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों समेत अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं और टीपीएस क्षेत्र में आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों और एचएमएनईएच योजना के तहत आने वाले हिमालय के इलाकों से है। | | |